सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
देहरादून, शनिवार, 28 जुलाई, 2001 ई0
श्रावण 06, 1923 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
आबकारी आयुक्त
सं0 3068
दि0 देहरादून, 28 जुलाई, 2001

अधिसूचना

उ0प्र0 साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 1904 का 1) की धारा–21 के साथ पठित उ0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1910 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 1910 का IV) की धारा–41 के अधीन शक्तियों के प्रयोग में आबकारी आयुक्त उत्तरांचल, उत्तरांचल, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) नियम, 2001 में संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाता है ।

उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (द्वितीय संशोधन) नियम – 2001

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भः–
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (द्वितीय संशोधन) नियम – 2001 है।
   (2) ये नियम 1 अगस्त 2001 से प्रवृत्त होंगे।
2. नियम–15 का संशोधनः –
   उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) नियम 2001, जिन्हें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, में स्तंभ–I में निर्दिष्ट नियम–15 हेतु स्तंभ–II में निर्दिष्ट नियम प्रतिस्थापित होगा।

स्तंभ–I वर्तमान नियम	स्तंभ–II एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम–15 अनुज्ञापी, एक माह हेतु मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, माह के अंतिम कार्य दिवस तक उठा सकता है। माह के अंतिम कार्य दिवस तक न उठाई गई मात्रा जब्त हो जायेगी। तथापि, यदि अनुज्ञापी ने मांग पत्र जमा किया है तथा माह की समाप्ति से पहले सभी ड्यूटीज़ व करों सहित देशी मदिरा का संपूर्ण मूल्य जमा किया है तो जिला आबकारी अधिकारी अगले माह के तीसरे दिन तक मदिरा उठाने की	नियम–15 अनुज्ञापी, एक माह हेतु मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, माह के अंतिम कार्य दिवस तक उठा सकता है। माह के अंतिम कार्य दिवस तक न उठाई गई मात्रा जब्त हो जायेगी। तथापि, यदि अनुज्ञापी ने मांग पत्र जमा किया है तथा माह की समाप्ति से पहले सभी करों सहित देशी मदिरा का संपूर्ण मूल्य जमा किया है तो जिला

स्तंभ–I वर्तमान नियम	स्तंभ–II एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
अनुमति प्रदान कर सकता है। यदि अनुज्ञापी ने एक माह की संपूर्ण मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा उठा ली है तथा उसकी दुकान में और विक्रय की संभावना है तो उसे इन नियमों के अधीन निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के आधार पर गणना कर प्रति बल्क लीटर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के भुगतान पर दुकान हेतु मासिक प्रत्याभूत मात्रा की 20% अतिरिक्त मात्रा उठाने की अनुमति होगी। यदि वह किसी माह विशेष में मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के 120% से अधिक मात्रा उठाना चाहता है तो उसे इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उच्च दर पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जमा कराना होगा।	आबकारी अधिकारी, अनुज्ञापी के लिखित आवेदन पर (उस वित्तीय वर्ष के अप्रैल से फरवरी के दौरान) अगले माह के दसवें दिन तक मदिरा उठाने की अनुमति दे सकता है। यदि अनुज्ञापी ने एक माह की संपूर्ण मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा उठा ली है तथा उसकी दुकान में और विक्रय की संभावना है तो उसे (अग्रिम रूप से ड्यूटी जमा करने के पश्चात्) उसी दर पर (जैसी कि, दुकान के लिये मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के आधार पर गणना की गई है) न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी के 50% के बराबर देशी मदिरा की अतिरिक्त मात्रा उठाने की अनुमति होगी। यदि वह एक माह में मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के 150% से अधिक के सापेक्ष मदिरा उठाना चाहता है तो उसे इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उच्च दर पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जमा कराना होगा।

(सुभाष कुमार)
आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल

आबकारी आयुक्त कार्यालय, उत्तरांचल
सं0 1194/ST दि0 देहरादून 14–09–2001

अधिसूचना

उ0प्र0 साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 1904 का 1) की धारा–21 के साथ पठित उ0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1910 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 1910 का IV) की धारा–41 के अधीन शक्तियों के प्रयोग में आबकारी आयुक्त उत्तरांचल, उत्तरांचल, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) नियम, 2001 में संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाता है।

उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (तृतीय संशोधन) नियम–2001

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भः–
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (तृतीय संशोधन) नियम – 2001 है।
   (2) ये नियम 1 अगस्त 2001 से प्रवृत्त होंगे।
2. नियम–2 का संशोधनः –
   उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) नियम 2001, जिन्हें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, में स्तंभ–I में निर्दिष्ट नियम–2 (बी), 2 (एच), 2 (जे) हेतु स्तंभ–II में निर्दिष्ट नियम–2 (बी), 2 (एच), 2 (जे) प्रतिस्थापित होगा।

स्तंभ–I वर्तमान नियम	स्तंभ–II एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम–2 (बी), 2 (एच), 2 (जे) 2. परिभाषाएं : – 2(बी). "देशी मदिरा" में, उत्तरांचल में वर्तमान देशी मदिरा की दुकानों में बेची जाने वाली 32% $^{v}/_{v}$ क्षमता की देशी स्पिरिट व मसाला युक्त देशी मदिरा सम्मिलित है।	नियम–2 (बी), 2 (एच), 2 (जे) 2. परिभाषाएं : – 2(बी) "देशी मदिरा" में, उत्तरांचल में वर्तमान देशी मदिरा की दुकानों में बेची जाने वाली 32% $^{v}/_{v}$ क्षमता की देशी स्पिरिट, सादी व मसाला युक्त देशी मदिरा सम्मिलित है।
2(एच) मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अभिप्राय है, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित, देशी मदिरा (32% $^{v}/_{v}$ की मसाला युक्त देशी मदिरा के रूप में) की न्यूनतम मात्रा, जो कि वर्ष के किसी माह के दौरान अनुज्ञापी की दुकान में खुदरा विक्रय के उद्देश्य से देशी मदिरा के बंधकाधीन माल गोदाम से उसके द्वारा उठाना प्रत्याभूत है।	2(एच) मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अभिप्राय है, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित, देशी मदिरा (32% $^{v}/_{v}$ की मसाला युक्त / सादी देशी मदिरा के रूप में) की न्यूनतम मात्रा, जो कि वर्ष के किसी माह के दौरान अनुज्ञापी की दुकान में खुदरा विक्रय के उद्देश्य से देशी मदिरा के बंधकाधीन माल गोदाम से उसके द्वारा उठाना प्रत्याभूत है।
2(जे) मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा–24 के अधीन अनन्य	2(जे) 2(जे) मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी से अभिप्राय है, अधिनियम की

स्तंभ–I वर्तमान नियम	स्तंभ–II एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
विशेषाधिकार हेतु अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिये प्रतिफल धनराशि का वह भाग, जो कि समय–समय पर, अधिनियम की धारा–28 के साथ पठित धारा–30 के अधीन उदग्रहणीय 32% $^{v}/_{v}$ की मसाला युक्त देशी मदिरा पर ड्यूटी हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर एक माह की संपूर्ण मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय है।	धारा–24 के अधीन अनन्य विशेषाधिकार हेतु अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिये प्रतिफल धनराशि का वह भाग, जो कि समय–समय पर, अधिनियम की धारा–28 के साथ पठित धारा–30 के अधीन उदग्रहणीय 32% $^{v}/_{v}$ की मसाला युक्त / सादी देशी मदिरा पर ड्यूटी हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर एक माह की संपूर्ण मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय है।

3. नियम–6(ए) का संशोधनः –

उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) नियम 2001, जिन्हें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, में स्तंभ–I में निर्दिष्ट नियम–6(ए) हेतु स्तंभ–II में निर्दिष्ट नियम प्रतिस्थापित होगा।

स्तंभ–I वर्तमान नियम			स्तंभ–II एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम		
नियम–6 अनुज्ञापन शुल्क तथा प्रतिभूति जमा सी एल 5 सी प्रपत्र में लाइसेंस एक आबकारी वर्ष की अवधि या उसके एक भाग हेतु निम्नलिखित भुगतान पर दिया जायेगा :– (ए) दुकान के व्यवस्थापन के समय निम्न दरों पर अग्रिम में लाइसेंस फीस :–			नियम–6 अनुज्ञापन शुल्क तथा प्रतिभूति जमा सी एल 5 सी प्रपत्र में लाइसेंस एक आबकारी वर्ष की अवधि या उसके एक भाग हेतु निम्नलिखित भुगतान पर दिया जायेगा :– (ए) दुकान के व्यवस्थापन के समय निम्न दरों पर अग्रिम में लाइसेंस फीस :–		
श्रेणी	"वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा" बल्क लीटर में मात्रा (32% $^{v}/_{v}$ की मसाला युक्त देशी मदिरा के रूप में)	प्रति दुकान लाइसेंस फीस (रूपयों में)	श्रेणी	"वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा" बल्क लीटर में मात्रा (32% $^{v}/_{v}$ की मसाला युक्त/सादी देशी मदिरा के रूप में)	प्रति दुकान लाइसेंस फीस (रूपयों में)
1.	12,000 तक	50,000	1.	12,000 तक	50,000
2.	12,001 से 30,000	1,00,000	2.	12,001 से 30,000	1,00,000
3.	30,001 से 60,000	2,00,000	3.	30,001 से 60,000	2,00,000
4.	60,001 से 1,00,000	4,00,000	4.	60,001 से 1,00,000	4,00,000
5.	1,00,001 से 1,50,000	6,00,000	5.	1,00,001 से 1,50,000	6,00,000
6.	1,50,001 से 3,00,000	8,00,000	6.	1,50,001 से 3,00,000	8,00,000
7.	3,00,001 से ऊपर	10,00,000	7.	3,00,001 से ऊपर	10,00,000

4. नियम–7 का संशोधन :–

उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) नियम 2001, जिन्हें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, में स्तंभ–I में निर्दिष्ट नियम–7 हेतु स्तंभ–II में निर्दिष्ट नियम प्रतिस्थापित होगा।

स्तंभ–I वर्तमान नियम	स्तंभ–II एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम–7 देशी मदिरा की क्षमता :– 32% $^{v}/_{v}$ अल्कोहॉल क्षमता की मसाला युक्त देशी मदिरा	नियम–7 देशी मदिरा की क्षमता :– 32% $^{v}/_{v}$ अल्कोहॉल क्षमता की मसाला युक्त/सादी देशी मदिरा

(सुभाष कुमार)
आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
सामान्य परिनियम नियम
देहरादून, शुक्रवार, 14 सितम्बर, 2001 ई0
भाद्रपद 23, 1923 शक सम्वत्
उत्तरांचल शासन
आबकारी आयुक्त कार्यालय
सं0 1195/ST
दि0 देहरादून, 14 सितम्बर, 2001

अधिसूचना

उ0प्र0 साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 1904 का 1) की धारा–21 के साथ पठित उ0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1910 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 1910 का IV) की धारा–41 के अधीन शक्तियों के प्रयोग में आबकारी आयुक्त उत्तरांचल, उत्तरांचल, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) नियम, 2001 में संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाता है ।

उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (चतुर्थ संशोधन) नियम – 2001

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भः–
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (चतुर्थ संशोधन) नियम – 2001 है।
   (2) ये नियम 1 सितम्बर 2001 से प्रवृत्त होंगे।
2. नियम–15 का संशोधनः –
   उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) नियम 2001, जिन्हें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, में स्तंभ–I में निर्दिष्ट नियम–15 हेतु स्तंभ–II में निर्दिष्ट नियम प्रतिस्थापित होगा।

स्तंभ–I वर्तमान नियम	स्तंभ–II एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम–15 अनुज्ञापी, एक माह हेतु मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, माह के अंतिम कार्य दिवस तक उठा सकता है। माह के अंतिम कार्य दिवस तक न उठाई गई मात्रा जब्त हो जायेगी। तथापि, यदि अनुज्ञापी ने मांग पत्र जमा किया है तथा माह की समाप्ति से पहले सभी करों सहित देशी मदिरा का संपूर्ण मूल्य जमा	नियम–15 अनुज्ञापी, एक माह हेतु मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, माह के अंतिम कार्य दिवस तक उठा सकता है। माह के अंतिम कार्य दिवस तक न उठाई गई मात्रा जब्त हो जायेगी। तथापि, यदि अनुज्ञापी ने मांग पत्र जमा किया

स्तंभ–I वर्तमान नियम	स्तंभ–II एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
किया है तो जिला आबकारी अधिकारी अनुज्ञापी के लिखित आवेदन पर (उस वित्तीय वर्ष के अप्रैल से फरवरी के दौरान) अगले माह के दसवें दिन तक मदिरा उठाने की अनुमति दे सकता है। यदि अनुज्ञापी ने एक माह की संपूर्ण मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा उठा ली है तथा उसकी दुकान में और विक्रय की संभावना है तो उसे (अग्रिम रूप से ड्यूटी जमा करने के पश्चात) उसी दर पर (जैसी कि, दुकान के लिये मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी के आधार पर गणना की गई है) न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी के 50% के बराबर देशी मदिरा की अतिरिक्त मात्रा उठाने की अनुमति होगी। यदि वह एक माह में मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के 150% से अधिक के सापेक्ष मदिरा उठाना चाहता है तो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उच्च दर पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जमा कराना होगा।	है तथा माह की समाप्ति से पहले सभी करों सहित देशी मदिरा का संपूर्ण मूल्य जमा किया है तो जिला आबकारी अधिकारी, अनुज्ञापी के लिखित आवेदन पर (उस वित्तीय वर्ष के अप्रैल से फरवरी के दौरान) अगले माह के पच्चीसवें दिन तक मदिरा उठाने की अनुमति दे सकता है। यदि अनुज्ञापी ने एक माह की संपूर्ण मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा उठा ली है तथा उसकी दुकान में और विक्रय की संभावना है तो उसे (अग्रिम रूप से ड्यूटी जमा करने के पश्चात्) उसी दर पर (जैसी कि, दुकान के लिये मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी के आधार पर गणना की गई है) न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी के 50% के बराबर देशी मदिरा की अतिरिक्त मात्रा उठाने की अनुमति होगी। यदि वह एक माह में मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के 150% से अधिक के सापेक्ष मदिरा उठाना चाहता है तो उसे इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उच्च दर पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जमा कराना होगा।

(सुभाष कुमार)
आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
सामान्य परिनियम नियम
देहरादून, शुक्रवार, 14 सितम्बर, 2001 ई0
भाद्रपद 23, 1923 शक सम्वत्

Uttaranchal Shasan

The Excise Commissioner Office, Uttaranchal

No.: 1196/ST
dated:Dehradun:September 14, 2001

NOTIFICATION

In Exercise of the powers under section 41 of the U.P. Excise Act 1910 (U.P. Act no. IV of 1910) read with section 21 of the U. P. General Clauses Act 1904 (U.P. Act no. I of 1904), the Excise Commissioner, Uttaranchal with the previous sanction of the State Government makes the following rules with a view of amending The Uttaranchal Excise (Settlement of Licences for Retail Sale of Foreign Liquor and Beer) Rules 2001.

The Uttaranchal Excise (Settlement of Licences For Retail Sale of Foreign Liquor and Beer) (Fourth Amendment) Rules 2001.

1. Short Title and Commencement

(1) These rules may be called The Uttaranchal Excise (Settlement of Licences For Retail Sale of Foreign Liquor and Beer) (Fourth Amendment) Rules, 2001.

(2) They shall come into force from 1st September 2001.

2. Amendment of rule 13: In the Uttaranchal Excise (Settlement of Licences For Retail Sale of Foreign Liquor and Beer) Rules 2001 here in after referred to as the said Rules for Rule 13 set out in column I below, the rule as set out in column II shall be substituted :-

Column I	Column II
Existing Rule	*Rule as hereby substituted*
Rule 13	Rule 13

The Licensee under these rules shall obtain supplies of foreign liquor from any wholesale licence (FL-2) of the district after making full payments of cost price of foreign liquor including all taxes, duties and cess as levied from time to time. If any specific/particular brand of foreign liquor is not available in wholesale licence or licences of his district the same may be procured from any other wholesale licence of the state with prior permission of the Deputy Excise Commissioner (licencing) Head Quarter, Uttaranchal.	The Licensee under these rules shall obtain supplies of foreign liquor from wholesale licence (FL-2) of the district after making full payments of cost price of foreign liquor including all taxes, duties and cess as levied from time to time. If any specific/particular brand of foreign liquor is not available in wholesale licence of his district the same may be procured from any other wholesale licence of the state with prior permission of the Deputy Excise Commissioner (licencing) Head Quarter, Uttaranchal. The amount of Monthly Minimum Guaranteed Duty shall be adjusted against per bottle issue of Indian Made Foreign Liquor(Spirits only) from FL-2 in the following manner :-

Per Bottle Ex Distillery price	Amount of Monthly Minimum guranteed duty
Upto Rs. 16/-	40/- Rs. per Bottle
From Rs.16.01 to Rs. 20	50/- Rs. per Bottle
From Rs.20.01 to Rs. 35	60/- Rs. per Bottle
From Rs.35.01 to Rs. 75	75/- Rs. per Bottle
From Rs.75.01 to Rs. 150	90/- Rs. per Bottle
Above Rs.150	109/- Rs. per Bottle

3. Amendment of Rule 14: In the said rules, for the Rule 14 set out in Column I below, the Rule as setout in Column II shall be substituted:-

Column I	Column II
Existing Rule	*Rule as hereby substituted*
Rule 14	Rule 14

The licensee can lift the Monthly Minimum Guaranteed Quantity for a month till the last working day of the month. The quantity left unlifted on the last working day of the month shall stand forefited. However if the licensee has deposited all Monthly Minimum Guaranteed Duty, the District Excise Officer may permit lifting of liquor till 10th day of the next month (during April to February of that financial year), on written request from the licensee.

In case the licensee has lifted Foreign Liquor against the entire amount of Monthly Minimum Guaranteed Duty fixed for a month and there is scope for further sale in his shop, he (after depositing the duty in advance) will be allowed to lift an additional quantity of Foreign Liquor equivalent to 50% of the Minimum Monthly Guaranteed Duty at the same rate (as calculated on the basis of Monthly Minimum Guaranteed Duty for the shop) . In case a licensee wants to lift Foreign Liquor against more than 150% of the Monthly Minimum Guaranteed Duty in a month, he shall be required to deposit an additional Excise Duty at a higher rate as notified by the State Government in this regard. FL 5D Licensee shall be free to purchase any quantity of Beer from FL2 or FL2B as per the genuine sale requirements of his shop.

The licensee can lift the Monthly Minimum Guaranteed Quantity for a month till the last working day of the month. The quantity left unlifted on the last working day of the month shall stand forefited. However if the licensee has deposited all Monthly Minimum Guaranteed Duty, the District Excise Officer may permit lifting of liquor till 25th day of the next month (during April to February of that financial year), on written request from the licensee.

In case the licensee has lifted Foreign Liquor against the entire amount of Monthly Minimum Guaranteed Duty fixed for a month and there is scope for further sale in his shop, he (after depositing the duty in advance) will be allowed to lift an additional quantity of Foreign Liquor equivalent to 50% of the Minimum Monthly Guaranteed Duty at the same rate (as calculated on the basis of Monthly Minimum Guaranteed Duty for the shop) . In case a licensee wants to lift Foreign Liquor against more than 150% of the Monthly Minimum Guaranteed Duty in a month, he shall be required to deposit an additional Excise Duty at a higher rate as notified by the State Government in this regard. FL 5D Licensee shall be free to purchase any quantity of Beer from FL2 or FL2B as per the genuine sale requirements of his shop.

(Subhash Kumar)
Excise Commissioner,
Uttaranchal.

कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तरांचल
अधिसूचना
संख्याः 26 जनवरी, 10/14, 2002

संयुक्त प्रान्त अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम सं0 4 सन् 1910) की धारा 31 और उ0प्र0 साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (स0प्रा0 अधिनियम सं0–1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित 1910 के उक्त अधिनियम की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उत्तर प्रदेश में प्रकाशित आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना संख्याः14915/लाईसेंस–संसाधन–99–2000 दिनांक 25 मार्च, 1999 द्वारा यथासंशोधित आबकारी आयुक्त की अधिसूचना संख्या 13684/दो–781–डी0–सामान्य, दिनांक 25 अक्टूबर, 1967 के साथ प्रकाशित रियायती शुल्क पर विदेशी शराब की फुटकर बिक्री से सम्बन्धित नियमों में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तरांचल आबकारी (संशोधन) नियमावली, 2002

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**–(1) यह नियमावली उत्तरांचल आबकारी (संशोधन) नियमावली 2002 कही जायेगी।

(2) यह 10.01.2002 से प्रवृत्त होगी।

2. **पैरा 650 में दिये गये नियम का संशोधन**– नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये समय–समय पर यथासंशोधित रियायती शुल्क पर विदेशी शराब की फुटकर बिक्री से सम्बन्धित नियम के, जो यू0पी0 एक्साइज मैनुअल खण्ड–1 (1974 संस्करण) के पैरा 650 में दिया गया है, के स्थान (स्तम्भ–1) पर स्तम्भ दो पर दिये गये नियम रख दिये जायेंगे अर्थात.

....

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
650–(1) सैनिक कैन्टीन प्रणाली के अधीन विदेशी शराब की फुटकर बिक्री के लिए ठेके देने के संबंध में कलेक्टर द्वारा कैन्टीन किरायेदार को लाईसेंस दिया जा सकता है और जारी किया जा सकता है। किन्तु जब कभी ऐसा लाईसेंस जारी किया जाये, आबकारी आयुक्त, को इसकी सूचना दी जायेगी। इस लाइसेंस के	650–(1) सैनिक कैन्टीन प्रणाली के अधीन विदेशी शराब की फुटकर बिक्री के लिए ठेके देने के संबंध में कलेक्टर द्वारा कैन्टीन किरायेदार को लाईसेंस दिया जा सकता है और जारी किया जा सकता है। किन्तु जब कभी ऐसा लाईसेंस जारी किया जाये, आबकारी आयुक्त, को इसकी सूचना दी जायेगी। इस लाइसेंस के

अधीन बिक्री केवल कैन्टीन में या इस प्रयोजन के लिए सैनिक प्राधिकारियों द्वारा नियत स्थान पर और केवल उन्हीं व्यक्तियों को की जायेगी, जो उस रेजीमेन्ट से जिसके लिए लाइसेंस दिया गया हो, सम्बद्ध हो, या जो ऐसी कैन्टीन का उपभोग करने के लिए आर्मी रेगुलेशन के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत हो।

(2) उक्त लाइसेंस प्रपत्र–एफ0एल0–9 में होगा और प्रत्येक बिक्री के स्थान के लिए एक पृथक लाइसेंस अपेक्षित होगा। इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ेगा कि बिक्री स्थल एक ही ठेकेदार के हों या अलग–अलग ठेकेदारों के और यह कि वे एक ही सैनिक यूनिट से सम्बद्ध है या अलग–अलग। प्रपत्र एफ0एल0–9 में कैन्टीन लाईसेंस के अधीन बिक्री के आधार पर निर्धारित फीस की वसूली निम्नलिखित दरों पर की जायेगी।

(एक) भारत में बनी सभी रू0 30.00 प्रकार की विदेशी शराब, स्प्रिट, वाईन, शराब, कार्डियल आदि।	प्रति मान्य क्वार्ट बोतल
(दो) अल्कोहल को 5 रू0 2.00 प्रतिशत वी/वी तक शक्ति प्रति 650 रखने वाली बियर स्टाउड एम0एल0 और अन्य किण्वित शराब	बोतल
(तीन) अल्कोहल को 5 रू0 3.00 प्रतिशत वी/वी से अधिक प्रति 650 किन्तु 8 प्रतिशत वी/वी से एम0एल0 कम शक्ति रखने वाली बोतल बियर, स्टाउट और अन्य किण्वित शराब	

(3) (क) रियायती शुल्क की रम को प्रतिरक्षा कार्मिकों के साथ बिक्री करने के लिए कलेक्टर द्वारा यूनिट कैन्टीन को प्रपत्र एफ0एल0–9ए में सैनिक यूनिट कैन्टीन लाईसेंस दिया जा सकता है और जारी किया जा सकता है। किन्तु जब कभी ऐसा लाईसेंस जारी किया जाये आबकारी आयुक्त को उसकी सूचना दी जायेगी। यह लाईसेंस यूनिट के आफिसर कमान्डिंग के अनुरोध पर उचित जांच और छानबीन करने के पश्चात दिया जाना चाहिए। इस लाईसेंस के अधीन बिक्री केवल यूनिट रम, कैन्टीन में या सैनिक प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट रूप से पृथक रक्षित स्थल पर और केवल उन्हीं व्यक्ति को की जायेगी, जो उस रेजीमेन्ट से जिसके लिए लाइसेंस दिया गया हो, सम्बद्ध हो, या जो कैन्टीन से खरीदारी करने के लिए आर्मी

अधीन बिक्री केवल कैन्टीन में या इस प्रयोजन के लिए सैनिक प्राधिकारियों द्वारा नियत स्थान पर और केवल उन्हीं व्यक्तियों को की जायेगी, जो उस रेजीमेन्ट से जिसके लिए लाइसेंस दिया गया हो, सम्बद्ध हो, या जो ऐसी कैन्टीन का उपभोग करने के लिए आर्मी रेगुलेशन के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत हो।

(2) उक्त लाइसेंस प्रपत्र–एफ0एल0–9 में होगा और प्रत्येक बिक्री के स्थान के लिए एक पृथक लाइसेंस अपेक्षित होगा। इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ेगा कि बिक्री स्थल एक ही ठेकेदार के हों या अलग–अलग ठेकेदारों के और यह कि वे एक ही सैनिक यूनिट से सम्बद्ध है या अलग–अलग। प्रपत्र एफ0एल0–9 में कैन्टीन लाईसेंस के अधीन बिक्री के आधार पर निर्धारित फीस की वसूली निम्नलिखित दरों पर की जायेगी।

(एक) भारत में बनी सभी रू0 30.00 प्रकार की विदेशी शराब, स्प्रिट, वाईन, शराब, कार्डियल आदि।	प्रति मान्य क्वार्ट बोतल
(दो) अल्कोहल को 5 रू0 2.00 प्रतिशत वी/वी तक शक्ति प्रति 650 रखने वाली बियर स्टाउड एम0एल0 और अन्य किण्वित शराब	बोतल
(तीन) अल्कोहल को 5 रू0 3.00 प्रतिशत वी/वी से अधिक प्रति 650 किन्तु 8 प्रतिशत वी/वी से एम0एल0 कम शक्ति रखने वाली बोतल बियर, स्टाउट और अन्य किण्वित शराब	

(3) (क) रियायती शुल्क की रम को प्रतिरक्षा कार्मिकों के साथ बिक्री करने के लिए कलेक्टर द्वारा यूनिट कैन्टीन को प्रपत्र एफ0एल0–9ए में सैनिक यूनिट कैन्टीन लाईसेंस दिया जा सकता है और जारी किया जा सकता है। किन्तु जब कभी ऐसा लाईसेंस जारी किया जाये आबकारी आयुक्त को उसकी सूचना दी जायेगी। यह लाईसेंस यूनिट के आफिसर कमान्डिंग के अनुरोध पर उचित जांच और छानबीन करने के पश्चात दिया जाना चाहिए। इस लाईसेंस के अधीन बिक्री केवल यूनिट रम, कैन्टीन में या सैनिक प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट रूप से पृथक रक्षित स्थल पर और केवल उन्हीं व्यक्ति को की जायेगी, जो उस रेजीमेन्ट से जिसके लिए लाइसेंस दिया गया हो, सम्बद्ध हो, या जो कैन्टीन से खरीदारी करने के लिए आर्मी

रेगुलेशन के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत हो। प्रत्येक विक्रय स्थल के लिए प्रपत्र एफ0एल0–9ए में एक पृथक लाइसेंस अपेक्षित होगा।

(ख) एफ0एल0–9ए में कैन्टीन लाइसेंस कलेक्टर द्वारा महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा प्राधिकृत भारत तिब्बत सीमा पुलिस कैन्टीनों/यूनिटों को भी भारत तिब्बत सीमा पुलिस कार्मिकों को रियायती रम की फुटकर बिक्री के लिए दिया जा सकता है, जारी किया जा सकता है, किन्तु जब कभी ऐसा लाइसेंस जारी किया जाये, आबकारी आयुक्त, को उसकी सूचना दी जायेगी। यह लाइसेंस उप महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस के अनुरोध पर जांच और छानबीन करने के पश्चात दिया जाना चाहिए। इस लाइसेंस के अधीन बिक्री 'केवल रम कैन्टीन' में या उप महा निरीक्षक भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा विशेष रूप से पृथक रक्षित स्थान पर और केवल व्यक्तियों को की जायेगी जो ईकाई से, जिसके लिए लाइसेंस दिया जाये, सम्बद्ध हो।

(ग) उपखण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट लाइसेंस के अधीन बिक्री के आधार पर निर्धारित फीस की वसूली 18 रूपये (अठारह रूपये) रियायती शुल्क रम प्रति मान्य क्वार्ट की दर पर होगी।

टिप्पणी– कैन्टीन के लाइसेंसधारी के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं है, यदि सेना युद्धाभ्यास कर रही है, मार्च कर रही है, या अस्थायी स्थानों पर उसे नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए बुलाया जाये बशर्ते इन स्थानों पर बिक्री को मुख्य लाइसेंसधारी के स्थान पर रखे गये लेखा में सम्मिलित कर लिया जाये।

रेगुलेशन के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत हो। प्रत्येक विक्रय स्थल के लिए प्रपत्र एफ0एल0–9ए में एक पृथक लाइसेंस अपेक्षित होगा।

(ख) एफ0एल0–9ए में कैन्टीन लाइसेंस कलेक्टर द्वारा महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा प्राधिकृत भारत तिब्बत सीमा पुलिस कैन्टीनों/यूनिटों को भी भारत तिब्बत सीमा पुलिस कार्मिकों को रियायती रम की फुटकर बिक्री के लिए दिया जा सकता है, जारी किया जा सकता है, किन्तु जब कभी ऐसा लाइसेंस जारी किया जाये, आबकारी आयुक्त, को उसकी सूचना दी जायेगी। यह लाइसेंस उप महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस के अनुरोध पर जांच और छानबीन करने के पश्चात दिया जाना चाहिए। इस लाइसेंस के अधीन बिक्री 'केवल रम कैन्टीन' में या उप महा निरीक्षक भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा विशेष रूप से पृथक रक्षित स्थान पर और केवल व्यक्तियों को की जायेगी जो ईकाई से, जिसके लिए लाइसेंस दिया जाये, सम्बद्ध हो।

(ग) (1) उपखण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट लाइसेंस के अधीन बिक्री के आधार पर निर्धारित फीस की वसूली 18 रूपये (अठारह रूपये) रियायती शुल्क रम प्रति मान्य क्वार्ट की दर पर होगी।

(2) उत्तरांचल के भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में तैनात भारतीय सैनिकों और भारत तिब्बत सीमा पुलिस को प्रतिवर्ष दी जाने वाली कमशः 1,80. 180 लीटर और 41,168 लीटर की सीमा तक रम पर कोई एसेस्ड फीस देय नहीं होगी।

टिप्पणी– कैन्टीन के लाइसेंसधारी के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं है, यदि सेना युद्धाभ्यास कर रही है, मार्च कर रही है, या अस्थायी स्थानों पर उसे नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए बुलाया जाये बशर्ते इन स्थानों पर बिक्री को मुख्य लाइसेंसधारी के स्थान पर रखे गये लेखा में सम्मिलित कर लिया जाये।

(चन्द्र सिंह)
आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल शासन

उत्तरांचल सरकार
आबकारी अनुभाग
संख्याः27 / आबकारी / 2002 / देहरादूनः जनवरी 14, 2002
अधिसूचना

सा0प0नि0–9

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 28 और 29 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल समय–समय पर उ0प्र0 सरकार की यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्याः1099ई–2 / तेरह–99–37(1)–84 दि0 24 मार्च 1999 में दिनांक 10.01.2002 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची में, नीचे स्तम्भ–1 में दी गयी विद्यमान मद–4 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गयी मद–4 रख दी जायेगी, अर्थात

स्तम्भ–1	रू0	स्तम्भ–2	रू0
विद्यमान मद–4		एतद्द्वारा प्रतिस्थापित मद–4	
4–(क) निम्नलिखित को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्प्रिट।	48.00 प्रति लीटर अल्कोहल	4–(क) निम्नलिखित को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्प्रिट।	48.00 प्रति लीटर अल्कोहल
(एक) विकृत स्प्रिट		(एक) विकृत स्प्रिट	
(दो) औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम 1955, के अधीन लाईसेंस प्राप्त बंधकाधीन / अबंधकाधीन फार्मेसियों को जारी किया गया / की गयी अल्कोहल / परिशोधित स्प्रिट		(दो) औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम 1955, के अधीन लाईसेंस प्राप्त बंधकाधीन / अबंधकाधीन फार्मेसियों को जारी किया गया / की गयी अल्कोहल / परिशोधित स्प्रिट	
(तीन) भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा को दी जाने वाली रम		(तीन) भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा को दी जाने वाली रम	
(ख) उत्तर प्रदेश के भारत–तिब्बत सीमा क्षेत्र में तैनात भारतीय सैनिकों और भारत तिब्बत सीमा पुलिस को प्रतिवर्ष दी जाने वाली क्रमशः 180180 लीटर और 41,168 लीटर की सीमा तक रम	17.25 प्रति लीटर अल्कोहल	(ख) उत्तर प्रदेश के भारत–तिब्बत सीमा क्षेत्र में तैनात भारतीय सैनिकों और भारत तिब्बत सीमा पुलिस को प्रतिवर्ष दी जाने वाली क्रमशः 180180 लीटर और 41,168 लीटर की सीमा तक रम	कोई अभिकर नहीं
(ग) उपर्युक्त खण्ड (ख) के अन्तर्गत न आने वाले अल्कोहल भारतीय सैनिकों को दी जाने वाली रम।	43.00 प्रति अल्कोहल लीटर	(ग) उपर्युक्त खण्ड (ख) के अन्तर्गत न आने वाले अल्कोहल भारतीय सैनिकों को दी जाने वाली रम।	43.00 प्रति अल्कोहल लीटर

आज्ञा से
(चन्द्र सिंह)
सचिव आबकारी, उत्तरांचल शासन

संख्याः1477 / एसटी / आबकारी / 2002

प्रेषक,

संयुक्त आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल, देहरादून।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक
राजकीय मुद्रणालय,
रूड़की, जनपद हरिद्वार।

आबकारी विभाग

देहरादूनः दिनांकः जनवरी 16, 2002

विषयः **राजकीय अधिसूचना संख्या 26 एवं 27 / आबकारी / 2002 जनवरी 14, को मुद्रित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त शासकीय अधिसूचना संख्या 27 / आबकारी / 2002, जनवरी 14, 2002 की हिन्दी प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया इस अधिसूचना को राज्य सरकार असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4, खण्ड (क) सामान्य परिशिष्ट में दिनांक 14 जनवरी 2002 की तिथि में अवश्य प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं प्रकाशित अधिसूचना की 25–25 मुद्रित प्रतियां शासन के आबकारी विभाग को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संख्याः27 / आबकारी / 2002 जनवरी 14, 2002

भवदीय,

(धीरेन्द्र वर्मा)
संयुक्त आबकारी आयुक्त
कृते आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल

संख्याः1478–79 / एसटी / आबकारी / 2002

प्रतिलिपिः–

1. सचिव महोदय (आबकारी) उत्तरांचल, शासन को उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. आबकारी निरीक्षक, बी0एस0 चौहान, रूड़की जनपद हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(धीरेन्द्र वर्मा)
संयुक्त आबकारी आयुक्त
कृते आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)
देहरादून, बुधवार 24 अप्रैल, 2002 ई0
वैशाख 04, 1924 शक सम्वत्
उत्तरांचल शासन
आबकारी विभाग
संख्याः591 / देहरादून, 24 अप्रैल, 2002

अधिसूचना

सा0प्र0नि0–04

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 1904) की धारा–21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या–4 सन् 1910) की धारा–41 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल राज्य की पूर्व स्वीकृति से देशी / विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए निम्नलिखित नवीन आबकारी नीति उद्घोषित करते हैंः–

यह दिनांक 01 मई, 2002 से प्रवृत्त होगी।

1. क. उत्तरांचल की प्राकृतिक एवं नैसर्गिक सौन्यर्ता बनाये रखने, जनस्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए इस राज्य में वर्ष 2002–2003 के लिए देशी मदिरा की पाली पाउचों में की जाने वाली बिक्री पूर्ण निषिद्ध कर दी जायेगी।

अवैध मदिरा के निर्माण एवं तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण रखा जायेगा। विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री तथा तस्करी पर नियंत्रण के लिए सक्रिय प्रवर्तन कार्यवाही की जायेगी। इस कार्य में समाजसेवी महिला संगठनों तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं को सहयोग दिया जायेगा और समय–समय पर उनके साथ बैठकें भी आयोजित की जायेंगी। अत्यधिक मदिरा पान की लत छुड़ाने के लिए मद्यनिषेध आंदोलन (टेम्परेन्स मूवमेन्ट) को बढ़ावा दिया जायेगा।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मदिरा की दुकानों की संख्या घटाने एवं क्षेत्र विशेष की आवश्यकतानुसार स्थानीय जन मानस की भावनाओं को देखते हुए उनके स्थान पुनर्नियोजित किये जायेगें। ग्रामीण क्षेत्र की अनपेक्षित दुकानों को बंद करने के बाद शेष मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन किया जायेगा। हरिद्वार व ऋषिकेश तीर्थ स्थानों में नगरपालिका क्षेत्र को सीमान्तर्गत, पीरान कलियर के 1.6 किमी क्षेत्र में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री धामों, पूर्णागिरी, रीठा साहब, हेमकुण्ड साहब तथा नानकमत्ता तीर्थ स्थलों में पूर्ण मद्यनिषेध लागू होगा तथा इन क्षेत्रों में मदिरा की कोई दुकानें नहीं खोली जायेंगी।

(ग) धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थाओं तथा चिकित्सालयों के समीप मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन नहीं किया जायेगा। यात्रा मार्ग के मुख्य मार्ग पर मदिरा की कोई नई दुकान नहीं खोली जायेगी।

(घ) प्रदेश के बाहर के राज्यों से होने वाली मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने हेतु राज्य की सीमाओं पर 13 चैकपोस्ट बनायी जायेंगी जहां पर आबकारी सिपाहियों के साथ–साथ भूतपूर्व सैनिकों को संविदा के आधार पर तैनाती की जायेंगी।

(च) वर्तमान में अवैध मदिरा निर्माण एवं तस्करी आदि के मामलों में कठोर दण्ड की व्यवस्था नहीं है। इस हेतु आबकारी अधिनियम की सम्बन्धित धाराओं–60, 63 एवं 68 में दण्ड के प्राविधान को कठोर करते हुए इन धाराओं से सम्बन्धित अपराधों में जुर्माने की न्यूनतम धनराशि 5000/– रूपये जुर्माना लगाये जाने की व्यवस्था बनाने हेतु सम्बन्धित एक्ट में संशोधन किया जायेगा।

इन प्राविधानों के प्रभावी कियान्वयन के लिए आबकारी विभाग को सशक्त बनाते हुए इसका पुनर्गठन किया जायेगा।

दुकानों के व्यवस्थापन हेतु वर्ष 2002–2003 के लिए रा निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगाः–

(अ) वित्तीय वर्ष 2001–2002 की दुकानों की वास्तविक बिक्री के आधार पर जिला आबकारी अधिकारी की सलाह पर जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित जनपद की प्रत्येक दुकान का वर्ष 2002–2003 हेतु लाइसेंस फीस का निर्धारण किया जायेगाः–

(ब) राजस्व के दुकानवार निर्धारण के आधारः–

उपरोक्त बिन्दु (अ) के अनुसार दुकान की निर्धारित लाईसेंस फीस+वर्ष 2001–2002 की वास्तविक बिक्री के आधार पर न्यूनतम निर्धारित वार्षिक अभिकर।

इस प्रकार अंश 'ब' की गणना से प्राप्त दुकानवार राशि पर 12 प्रतिशत बढ़ोत्तरी का लक्ष्य जोड़ते हुए दुकान के वर्ष 2002–2003 में प्राप्त व्यवस्थापन राजस्व को घटाने के उपरान्त वर्ष 2002–2003 की शेष अवधि के लिए दुकान के कुल राजस्व गणना की जायेगी। उपरोक्त गणना के अनुसार पूरे वर्ष हेतु प्राप्त लाइसेंस फीस की राशि को घटाकर आयी राशि को वर्ष 2002–2003 की शेष अवधि हेतु दुकान की लाइसेंस फीस माना जायेगा। शेष राशि को दुकान का न्यूनतम गारन्टीड वार्षिक अभिकर मानते हुए उसके 11 भाग करके प्रत्येक भाग के विपरीत आगे आने वाले माहों में मदिरा की निकासी दी जायेगी। इस प्रकार दुकानों के कुल व्यवस्थापन राजस्व (लाईसेंस फीस+अभिकर) में जनपदवार निर्धारित लक्ष्य की वृद्धि सुनिश्चित की जायेगी।

(स) वर्ष 2002–2003 में मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु, यदि वर्तमान अनुज्ञापी (ऐसे व्यक्ति अथवा संस्थायें जो 30.4.2002 को देशी/विदेशी मदिरा के अनुज्ञापी रहेंगे, वर्तमान अनुज्ञापी माने जायेंगे) वर्ष 2002–2003 की शेष अवधि के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित की गयी लाईसेंस फीस एवं न्यूनतम निर्धारित गारन्टीड अभिकर की राशि पर उसी/उन्हीं अनुज्ञापियों/संस्थाओं के नाम व्यवस्थापित कर दिया जायेगा।

(द) उक्त विकल्प के अनुसार व्यवस्थापन करने पर यदि कुछ दुकानें व्यवस्थापित होने से शेष रह जाती है तो इन दुकानों का व्यवस्थापन गढ़वाल व कुमाऊं मण्डल विकास निगमों अथवा भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत को–ऑपरेटिव सोसाईटीज के पक्ष में निर्धारित राजस्व के आधार पर किया जायेगा।

मदिरा के लाईसेंस फीस के स्लैब उपभोगवार वर्ष 2001–2002 की भांति निम्न प्रकार प्रस्तावित हैः–

देशी मदिरा

श्रेणी	मदिरा की वार्षिक न्यूनतम गारन्टीड मात्रा बल्क लीटर में। (वित्तीय वर्ष 2001–2002 के वास्तविक उपभोग के आधार पर)	लाईसेंस फीस प्रति दुकान रूपयों में
1	12,000 बल्क लीटर तक	50,000.00
2	12,0001 से 30,000 बल्क लीटर तक	1,00,000.00

3	30,001 से 60,000 बल्क लीटर तक	2,00,000.00
4	60,001 से 1,00,000 बल्क लीटर तक	4,00,000.00
5	1,00,000 से 1,15,000 बल्क लीटर तक	6,00,000.00
6	1,50,001 से 3,00,000 बल्क लीटर तक	8,00,000.00
7	3,00,000 बल्क लीटर से अधिक	10,00,000.00

विदेशी मदिरा

श्रेणी	विदेशी मदिरा की वार्षिक न्यूनतम गारन्टीड मात्रा 750 एम0एल0 बोतल के टर्म में (वित्तीय वर्ष 2001–2002 के वास्तविक उपभोग के आधार पर)	लाईसेंस फीस प्रति दुकान रूपयों में
1	6,000 बोतल तक	50,000.00
2	6,001 से 12,000 बोतल तक	1,00,000.00
3	12,001 से 25,000 बोतल तक	2,00,000.00
4	25,001 से 50,000 बोतल तक	4,00,000.00
5	50,001 से 75,000 बोतल तक	6,00,000.00
6	75,001 से 1,00,000 बोतल तक	8,00,000.00
7	1,00,000 बोतल से अधिक	10,00,000.00

2. प्रत्येक दुकान की लाईसेंस फीस व न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राशि दुकान के व्यवस्थापन के समय निर्धारित कर दी जायेगी। किसी माह में निर्धारित न्यूनतम गारन्टीड अभिकर के विपरीत मदिरा का पूरा उठान हो जाने के उपरान्त दुकान पर और मदिरा की आवश्यकता होने की स्थिति में दुकान की न्यूनतम निर्धारित मासिक गारन्टीड अभिकर से अधिक उठान की अनुमति अभिकर की मूल दर के अतिरिक्त बढ़ी दर पर अतिरिक्त अभिकर, जैसा कि नीचे स्पष्ट है, जमा कराकर दे दी जायेगी।

किसी माह में मासिक न्यूनतम गारन्टीड राशि से अधिक उठाने की स्थिति में मासिक, न्यूनतम, गारन्टीड राशि की प्रत्येक 10 प्रतिशत राशि के विपरीत अतिरिक्त उठान पर प्रति बोतल/प्रति लीटर देय न्यूनतम गारन्टीड राशि की मूल निर्धारित दर को 5/– रूपये बढ़ाते हुए मदिरा की निकासी दी जायेगी।

3. देशी मदिरा की दुकानों को प्रतिस्पर्धा/तस्करी से बचाने के लिए देशी मदिरा (मसालेदार) की तीव्रता 36 प्रतिशत वी/वी रखी जायेगी। कच्ची शराब से मदिरा की दुकानों को सुरक्षित रखने एवं साधारण उपभोक्ता की क्रय शक्ति को दृष्टिगत रखते हुए सादा मदिरा की तीव्रता 25 प्रतिशत वी/वी रखी जायेगी। देशी व विदेशी मदिरा की गुणवत्ता उच्च कोटी की बनाये रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा व इस पर प्रभावी नियंत्रण रखा जायेगा।

4. राज्य के अन्तर्गत प्रतिवर्ष देशी मदिरा के भारी मात्रा में पाली पाउच जहां तहां फेंके जाने के कारण प्रदूषण बढ़ा है। अतः पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से देशी शराब की आपूर्ति/उपलब्धता केवल कांच की बोतलों में ही करायी जायेगी।

5. आंशिक मद्यनिषेध क्षेत्रों, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी एवं रूद्रप्रयाग में परमिट व्यवस्था पूर्व की भांति लागू रखी जाये व राज्य के इन क्षेत्रों में पर्यटन की दृष्टि से पर्यटकों को बिना परमिट के मदिरा बेची जा सकेगी एवं तीन सितारा या उससे उच्च श्रेणी के आवासीय होटलों में कम से कम बार अनुज्ञापन दिये जायेंगे।

6. उत्तरांचल राज्य के स्थायी निवासी के पक्ष में ही दुकानों का आबंटन किया जायेगा। आवेदन पत्र का मूल्य व प्रोसेसिंग फीस रू0 100/– प्रति आवेदन पत्र निर्धारित किया जायेगा। आवेदक को चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। यदि मूल आवेदन पत्र के साथ आवेदक के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र देना होगा और व्यवस्थापन उसके पक्ष में हो जाने पर जिलाधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा। लाइसेंसिग प्राधिकारी द्वारा जांच कराकर सुनिश्चित करवाया जायेगा कि आवेदक अवांछनीय गिरोह से तो नहीं जुड़ा है, तथा दुकानों के व्यवस्थापन के पश्चात उनकी हैसियत की जांच करायी जायेगी।

7. अभिकर की चोरी एवं मदिरा की तस्करी को रोकने के लिए देशी मदिरा/विदेशी मदिरा की बोतलों पर आबकारी विभाग का नम्बर युक्त होलोग्राफिक स्टिकर लगाया जायेगा।

8. राज्य के बाहर की आसवनियों की विदेशी मदिरा/बियर की उपलब्धता हेतु बाण्ड अनुज्ञापन दिये जायेंगे। बीडब्ल्यूएफएल–2, एफएल–2 व अन्य अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस आगामी वर्ष हेतु 10 प्रतिशत बढ़ा दी जायेगी।

9. राज्य में सेब, किन्नु, माल्टा, आलू आदि का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। अतः औद्योगिक विकास एवं फलों की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए वाईनरी/विंटनरी की स्थापना किये जाने पर विचार किया जायेगा।

10. राज्य के राजस्व संसाधनों में वृद्वि को दृष्टिगत रखते हुए विदेशी मदिरा के अभिकर में जो वर्तमान में रू0 48 प्रति ए0एल0 है, को बढ़ाकर रू0 50/– प्रति ए0एल0 तथा विभिन्न अनुज्ञापनों पर देय अनुज्ञापन शुल्क में यथा आवश्यक वृद्वि की जायेगी।

11. सेना को मदिरा/बियर आदि की आपूर्ति सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था जारी रखी जायेगी जब तक कि उत्तरांचल में कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट (सी0एस0डी0) डिपो न खुल जाये। सैन्य कैन्टीनों के माध्यम से बेची जाने वाली मदिरा पर पूर्व वर्ष की भांति यथावत व्यवस्था बनाये रखी जायेगी।

12. 1. विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों की व्यवस्था गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमाऊं मण्डल विकास निगम एवं भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत को–ऑपरेटिव सोसाईटीज व अन्य सरकारी विभागों के द्वारा कराया जायेगा।

2. वर्तमान में जिन फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन नहीं होता है उन्हें गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमाऊं मण्डल विकास निगम अथवा भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत को–ऑपरेटिव सोसाईटीज के पक्ष में निर्धारित राजस्व पर निगोसिऐशन द्वारा व्यवस्थापित किया जायेगा।

13. मासिक अभिकर/अधिभार के अनुज्ञापी द्वारा विलम्बित भुगतानों पर पेनाल्टी की व्यवस्था की जायेगी।

14. बार अनुज्ञापनों पर अनुज्ञापन शुल्क 2.0 लाख रूपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रूपये कर दिया जायेगा तथा क्लब बारों की लाईसेंस फीस में भी 25 प्रतिशत की वृद्वि कर दी जायेगी। बार व क्लबबार लाईसेंसों से बेची जाने वाली मदिरा की प्रत्येक बोतल पर 30/– रू0 व बियर की प्रत्येक बोतल पर 5/– रूपये अधिभार लगाया जायेगा व बारों के लिए मदिरा की न्यूनतम वार्षिक मात्रा के अनुसार श्रेणियां बनायी जायेंगी व एक सीमा से अधिक मदिरा उठान पर बढ़ी दर से अभिकर दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

15. मदिरा का व्यापार करने वाली ईकाईयों व अनुज्ञापियों पर कठोर नियंत्रण रखा जायेगा एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाया जायेगा।

16. आबकारी अधिनियम की धारा–60, धारा–63 व धारा–68 के प्राविधानों को कठोर बनाते हुए अधिक अर्थदण्ड व सजा की व्यवस्था की जायेगी।

17. शेष बिन्दुओं पर पुरानी नीति प्रभावी रहेगी।

18. उपर्युक्त के क्रियान्वयन हेतु पृथक से संशोधित नियमावलियां बनायी जायेंगी।

बी0सी0 चन्दोला
आबकारी आयुक्त

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
सामान्य परिनियम नियम
देहरादून, शनिवार, 27 अप्रैल, 2002 ई0
बैशाख 07, 1924 शक सम्वत्
उत्तरांचल शासन
आबकारी आयुक्त कार्यालय
सं0 749
दि0 देहरादून, 27 अप्रैल, 2002

अधिसूचना

उ0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1910 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 1910 का IV) की धारा–41 के अधीन शक्तियों के प्रयोग में आबकारी आयुक्त उत्तरांचल, उत्तरांचल, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) नियम, 2001 के संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाता है ।

उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (पंचम संशोधन) नियम – 2002

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भः–
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (पंचम संशोधन) नियम – 2002 है।
   (2) ये नियम 1 मई 2002 से प्रवृत्त होंगे।
2. नियमों का संशोधनः –
   उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) नियम 2001, जिन्हें इसके बाद उक्त नियम कहा गया है, में नीचे स्तंभ–I में निर्दिष्ट नियम–2(बी)(जी)(एच)(आई)(जे), 3(बी), 6(ए)(बी), 7, 8, (ए)(बी)(सी)(डी), 9 (ए), 11(ए)(बी)(डी), 13, 15, 16 तथा 20 हेतु स्तंभ–II में निर्दिष्ट नियम प्रतिस्थापित होंगे।

स्तंभ–I वर्तमान नियम	स्तंभ–II एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम

स्तंभ–I वर्तमान नियम	स्तंभ–II एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
2. परिभाषाएं : – 2(बी). "देशी मदिरा" में, उत्तरांचल में वर्तमान देशी मदिरा की दुकानों में विक्रय की जाने वाली 32% $^{v}/_{v}$ क्षमता की देशी स्पिरिट, मसाला युक्त व सादी मदिरा सम्मिलित है।	2. परिभाषाएं : – 2(बी) "देशी मदिरा" में, उत्तरांचल में वर्तमान देशी मदिरा की दुकानों में विक्रय की जाने वाली 25% $^{v}/_{v}$ की सादी मदिरा व 36% $^{v}/_{v}$ क्षमता की मसाला युक्त देशी मदिरा सम्मिलित है।
2(जी) "अनुज्ञापन फीस" से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा–24 के अधीन खुदरा देशी मदिरा के विक्रय हेतु अनन्य विशेषाधिकार के लिये लाईसेन्स की मंजूरी के प्रतिफल में निर्धारित राशि, जो कि संपूर्ण आबकारी वर्ष या उसके एक भाग हेतु समय–समय पर राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की गई हो।	2(जी) "अनुज्ञापन फीस" से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा–24 के अधीन खुदरा देशी मदिरा के विक्रय हेतु अनन्य विशेषाधिकार के लिये लाईसेन्स की मंजूरी के प्रतिफल में निर्धारित राशि, जो कि संपूर्ण आबकारी वर्ष या उसके एक भाग हेतु समय–समय पर राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की गई हो। परन्तु, 01 मई 2002 से प्रारम्भ होने वाली व 31–3–2003 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये लाईसेन्स फीस निम्नलिखित के बराबर होगीः – उस दुकान विशेष की वर्ष 2002–2003 के लिये निर्धारित लाईसेन्स फीस की कुल राशि में से अप्रैल 2002 के दौरान वसूली गई लाईसेन्स फीस की राशि घटा कर प्राप्त राशि।
2(एच) मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अभिप्राय है, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित, देशी मदिरा (32% $^{v}/_{v}$ क्षमता की मसाला युक्त/सादी देशी मदिरा के रूप में) की न्यूनतम मात्रा, जो कि वर्ष के किसी माह के दौरान, जिस वर्ष का उसने लाईसेन्स प्राप्त किया है, अनुज्ञापी की दुकान में खुदरा विक्रय के उद्देश्य से देशी मदिरा के बंधकाधीन माल गोदाम से उसके द्वारा उठाना प्रत्याभूत है।	2(एच) मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अभिप्राय है, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित, देशी मदिरा (36% $^{v}/_{v}$ क्षमता की मसाला युक्त मदिरा तथा 25% $^{v}/_{v}$ क्षमता की सादी देशी मदिरा के रूप में। मसाला युक्त देशी मदिरा का एक बल्क लीटर, सादी देशी मदिरा के $\frac{36}{25}$ बल्क लीटर के बराबर होगा) की न्यूनतम मात्रा जो कि वर्ष के किसी माह के दौरान, जिस वर्ष का उसने लाईसेन्स प्राप्त किया है, अनुज्ञापी की दुकान में खुदरा विक्रय के उद्देश्य से देशी मदिरा के बंधकाधीन माल गोदाम से उसके द्वारा

स्तंभ–I वर्तमान नियम	स्तंभ–II एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	उठाना प्रत्याभूत है। अधिनियम की धारा–24 के अधीन अनन्य विशेषाधिकार हेतु अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिये प्रतिफल धनराशि का वह भाग, जो कि समय–समय पर, अधिनियम की धारा–28 के साथ पठित धारा–30 के अधीन उदग्रहणीय 32% $^{v}/_{v}$ की मसाला युक्त / सादी देशी मदिरा पर ड्यूटी हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर एक माह की संपूर्ण मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय है।
(आई) एक दुकान के लिये "वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा" की 12 गुना होगी।	(आई) एक दुकान के लिये "वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा" इसके लिये निर्धारित – "न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा" की 12 गुना होगी। परन्तु, 01 मई 2002 से प्रारम्भ होने वाली तथा 31–3–2003 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु एक दुकान के लिये वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा निम्नलिखित के बराबर होगी : – उस दुकान विशेष की वर्ष 2002–2003 हेतु निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में से, अप्रैल 2002 के दौरान उठाई गई वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का भाग घटा कर शेष भाग। उपरोक्त मात्रा के कुल योग को 11 समान भागों में बांटा जायेगा तथा इसका प्रत्येक भाग 01–05–2002 से 31–03–2003 की अवधि के दौरान प्रत्येक माह हेतु मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा कहलायेगी।
(जे) मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा–24 के अधीन अनन्य विशेषाधिकार हेतु अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिये प्रतिफल धनराशि का वह भाग जो कि समय–समय पर, अधिनियम की धारा–28 के साथ पठित	(जे) मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा–24 के अधीन अनन्य विशेषाधिकार हेतु अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिये प्रतिफल धनराशि का वह भाग जो कि समय–समय पर, अधिनियम की धारा–30 के साथ पठित

<table>
<tr><th>स्तंभ–I
वर्तमान नियम</th><th>स्तंभ–II
एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम</th></tr>
<tr><td>धारा–30 के अधीन उद्ग्रहणीय 32% $^{v}/_{v}$ की मसाला युक्त मदिरा पर ड्यूटी हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर एक माह की संपूर्ण मासिक प्रत्याभूत मात्रा पर देय है।</td><td>धारा–30 के अधीन उद्ग्रहणीय 36% $^{v}/_{v}$ क्षमता की मसाला युक्त देशी मदिरा तथा 25% $^{v}/_{v}$ क्षमता की सादी देशी मदिरा पर ड्यूटी हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर एक माह की संपूर्ण मासिक प्रत्याभूत मात्रा पर देय है।</td></tr>
<tr><td>3. खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति का व्यवस्थापन : –
(बी) परिक्षेत्र ''पर'' तथा ''बाहर'' दोनों के सेवन हेतु सील बंद बोतलों व पोली पाउचेज में देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु प्रपत्र सी0एल0 5 सी में अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी।</td><td>3. खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति का व्यवस्थापन : –
(बी) परिक्षेत्र ''पर'' तथा ''बाहर'' दोनों के सेवन हेतु 750 एमएल, 375 एमएल व 180 एमएल की सील बंद बोतलों व पोली पाउचेज में देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु प्रपत्र सी0एल0 5 सी में अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी।
आबकारी आयुक्त द्वारा विधिवत अनुमोदित संख्यांकित सिक्योरिटी होलोग्राम 750 एमएल, 375 एमएल व 180 एमएल की प्रत्येक बोतल पर चिपकाने होंगे।</td></tr>
<tr><td>6. अनुज्ञापन फीस तथा धरोहर राशि : –
प्रपत्र सी0एल0 5 सी में एक आबकारी वर्ष की अवधि या उसके एक भाग हेतु निम्नवत भुगतान पर अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी।
(ए) दुकान के व्यवस्थापन के समय, निम्नलिखित दरों पर अग्रिम रूप से अनुज्ञापन फीस।</td><td>6. अनुज्ञापन फीस तथा धरोहर राशि : –
प्रपत्र सी0एल0 5 सी में एक आबकारी वर्ष की अवधि या उसके एक भाग हेतु निम्नवत भुगतान पर अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी।
(ए) दुकान के व्यवस्थापन के समय, निम्नलिखित दरों पर अग्रिम रूप से अनुज्ञापन फीस।</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><th>श्रेणी</th><th>''वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा'' बल्क लीटर में मात्रा (32% $^{v}/_{v}$ क्षमता की मसाला युक्त देशी मदिरा के रूप में)</th><th>प्रति दुकान लाइसेंस फीस (रूपयों में)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>12,000 तक</td><td>50,000</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>12,001 से 30,000</td><td>1,00,000</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>30,001 से 60,000</td><td>2,00,000</td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><th>श्रेणी</th><th>''वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा'' रेंज (2001–2002 की अवधि में दुकान की वास्तविक खपत के आधार पर)</th><th>प्रति दुकान लाइसेंस फीस (रूपयों में)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>12,000 तक</td><td>50,000</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>12,001 से 30,000</td><td>1,00,000</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>30,001 से 60,000</td><td>2,00,000</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

स्तंभ–I वर्तमान नियम			स्तंभ–II एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम		
4.	60,001 से 1,00,000	4,00,000	4.	60,001 से 1,00,000	4,00,000
5.	1,00,001 से 1,50,000	6,00,000	5.	1,00,001 से 1,50,000	6,00,000
6.	1,50,001 से 3,00,000	8,00,000	6.	1,50,001 से 3,00,000	8,00,000
7.	3,00,001 से ऊपर	10,00,000	7.	3,00,001 से ऊपर	10,00,000
(बी) न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी की एक माह के बराबर राशि ब्याज मुक्त प्रतिभूति के रूप में सरकारी कोषागार में दुकान के व्यवस्थापन की तिथि से दो दिन के भीतर जमा करानी होगी तथा एक माह की न्यूनतम ड्यूटी के बराबर, किसी अनुसूचित बैंक की बैंक प्रत्याभूति आबकारी आयुक्त या ज़िला आबकारी अधिकारी के पक्ष में, व्यवस्थित दुकान के संबंध में देय होगी जो राज्य सरकार को सभी दावों व देय राशियों के अंतिम निपटान तक वैध होगी। यह दुकान के व्यवस्थापन की तिथि से एक माह के भीतर देय होगी।			टिपण्णीः – 36% $^{v}/_{v}$ क्षमता की मसाला युक्त देशी मदिरा की बल्क लीटर, 25% $^{v}/_{v}$ की क्षमता की सादी देशी मदिरा के 36/25 बल्क लीटर के बराबर होगा। (बी) न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी की एक माह के बराबर राशि ब्याज मुक्त प्रतिभूति के रूप में सरकारी कोषागार में दुकान के व्यवस्थापन की तिथि से दो दिन के भीतर जमा करानी होगी तथा एक माह की न्यूनतम ड्यूटी के बराबर, किसी अनुसूचित बैंक की बैंक प्रत्याभूति आबकारी आयुक्त या ज़िला आबकारी अधिकारी के पक्ष में, व्यवस्थित दुकान के संबंध में देय होगी जो राज्य सरकार को सभी दावों व देय राशियों के अंतिम निपटान तक वैध होगी। यह दुकान के व्यवस्थापन की तिथि से एक माह के भीतर देय होगी।		
7. देशी मदिरा की क्षमता : – 32% $^{v}/_{v}$ की मसाला युक्त देशी मदिरा			7. देशी मदिरा की क्षमता : – 36% $^{v}/_{v}$ की मसाला युक्त देशी मदिरा		

स्तंभ–I वर्तमान नियम	स्तंभ–II एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
8. अनुज्ञापन की मंजूरी हेतु आवेदन : – (ए) जब कभी क्षेत्र या इलाके में एक नया लाईसेन्स देना प्रस्तावित हो तो अनुज्ञापन प्राधिकारी, उस क्षेत्र या इलाके में प्रसारित दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से वृहद् प्रचार के पश्चात् इस उद्देश्य हेतु आवेदन आमंत्रित करेगा।	8. अनुज्ञापन की मंजूरी हेतु आवेदन : – (ए) वर्तमान दुकान के मामले में आगामी वर्ष के लिये अनुज्ञापन फीस तथा वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी, वर्ष 2001–02 के दौरान दुकान की खपत को ध्यान में रखते हुए जिला आबकारी अधिकारी की सलाह पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा तय की जायेगी। यदि किसी दुकान विशेष का वर्तमान अनुज्ञापी (30–4–2002 को उस दुकान विशेष का अनुज्ञापी) अपनी दुकान जारी रखना चाहता है, तो नियमानुसार देय अनुज्ञापन फीस व वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की उपरोक्त राशि के भुगतान के पश्चात 2002–03 की शेष अवधि हेतु उसके अनुज्ञापन का नवीनीकरण किया जायेगा अन्यथा अनुज्ञापन को रिक्त समझा जायेगा तथा उपरोक्त राजस्व पर बातचीत के द्वारा गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम या पेंशन प्राप्त पूर्व सैनिकों की रजिस्टर्ड कोआपरेटिव सोसायटी के साथ व्यवस्थित किया जायेगा।
(बी) देशी मदिरा की खुदरा दुकानों जिनको कि अनुज्ञापन प्रदान करने का कलक्टर का प्रस्ताव है, की एक सूची कलक्टर कार्यालय, तहसील कार्यालयों तथा जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में दुकानवार अनुज्ञापन फीस, अग्रिम धन, धरोहर राशि, मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा तथा मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के साथ प्रदर्शित की जायेगी।	(बी) छोड़ा हुआ।
(सी) अनुज्ञापन की मंजूरी हेतु, इन नियमों के साथ संलग्न, निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किये जायेंगे।	(सी) छोड़ा हुआ।

स्तंभ–I वर्तमान नियम	स्तंभ–II एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(डी) आवेदन की प्राप्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि, समाचार पत्र में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से सात दिन से पहले नहीं होनी चाहिये।	(डी) छोड़ा हुआ।
	(ई) अनुज्ञापन के नवीनीकरण हेतु आवेदन, इन नियमों के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र पर रू0 100/– कैश या जिला आबकारी अधिकारी को देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान के साथ किया जायेगा।
9. आवेदकों हेतु योग्यता शर्तें : – खुदरा देशी मदिरा की दुकान के दुकानों हेतु आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करना चाहिये; यथा : – (ए) भारत का नागरिक होना चाहिये या एक भागीदारी फर्म, जिसके दो से अधिक भागीदार भारतीय नागरिक हों। दुकान/दुकानों के आबंटन के पश्चात भागीदारी में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। परन्तु, यदि एक अनुज्ञापन दो भागीदारों द्वारा संयुक्त रूप से धारित है, तब उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर अनुज्ञापन मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी के साथ जीवित भागीदार के पास रहेगा या दोनों भागीदारों की मृत्यु हो जाने पर उनके उत्तराधिकारी अनुज्ञापन अपने पास रख सकते हैं। दोनों भागीदारों के वैध दायित्वों के मध्य कोई भेद नहीं किया जायेगा। वे संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।	9. आवेदकों हेतु योग्यता शर्तें : – खुदरा देशी मदिरा की दुकान के दुकानों हेतु आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करना चाहिये; यथा : – जैसा कि समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा परिभाषित किया गया हो, भारत के नागरिक हों व उत्तरांचल के स्थायी निवासी हों । दुकान/दुकानों के आबंटन के पश्चात भागीदारी में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। परन्तु यदि कोई अनुज्ञापन दो भागीदारों द्वारा संयुक्त रूप से धारित है तब उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर अनुज्ञापन मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी के साथ जीवित भागीदार के पास रहेगा। या दोनों भागीदारों की मृत्यु हो जाने पर उनके उत्तराधिकारी अनुज्ञापन अपने पास रख सकते हैं। दोनों भागीदारों के वैध दायित्वों के मध्य कोई भेद नहीं किया जायेगा। वे संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

स्तंभ–I वर्तमान नियम	स्तंभ–II एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
11. अनुज्ञापन का चयन : – (ए) अनुज्ञापन हेतु जिला स्तर पर समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने हेतु, जिला आबकारी अधिकारी, संक्षिप्त रिपोर्ट के साथ प्राप्त सभी आवेदनों की एक सूची तैयार करेगा ।	11. अनुज्ञापन का चयन : – (ए) एक वर्तमान दुकान के मामलें में उस वर्ष के लिये अनुज्ञापन फीस तथा वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी, 2001–02 के दौरान दुकान की खपत को ध्यान में रखते हुये जिला आबकारी अधिकारी की सलाह पर अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा तय किया जायेगा । यदि किसी दुकान विशेष का वर्तमान अनुज्ञापी (30–4–2002 को उस दुकान विशेष का अनुज्ञापी) अपनी दुकान जारी रखना चाहता है तो नियमानुसार देय अनुज्ञापन फीस व वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की उपरोक्त राशि के भुगतान के पश्चात् 2002–03 की शेष अवधि हेतु उसके अनुज्ञापन का नवीनीकरण किया जायेगा अन्यथा अनुज्ञापन को रिक्त समझा जायेगा तथा उपरोक्त राजस्व पर बातचीत के द्वारा गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमाऊं मण्डल विकास निगम या पेंशन प्राप्त पूर्व सैनिकों की रजिस्टर्ड कोआपरेटिव सोसायटी के साथ व्यवस्थित किया जायेगा । यदि चयनित अनुज्ञापी अपेक्षित राशि जमा नही करता है या निर्धारित औपचारिकताऐं पूरी नही करता है या अनुबद्ध समय तक दुकान के लिये उपयुक्त परिक्षेत्र की व्यवस्था नही कर पाता तो अनुज्ञापन प्राधिकारी आबंटन रद्द कर
	देगा साथ ही अग्रिम धनराशि, अनुज्ञापन फीस, प्रतिभूति की जमा राशि, यदि कोई है, जब्त कर लेगा तथा दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु कार्यवाही करेगा ।
(बी) उक्त समिति सभी आवेदनों की संवीक्षा करेगी तथा दुकानदार उपयुक्त उम्मीदवारों की सूची बनायेगी। इस प्रक्रिया में समिति ऐसी पूछताछ कर सकती है या	(बी) छोड़ा हुआ।

स्तंभ–I वर्तमान नियम	स्तंभ–II एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
करवा सकती है जो नियम 9 में निर्धारित सिद्धान्तों की दृष्टि से वह आवश्यक समझे। अस्वीकृत आवेदनों की सूची व अभिलिखित कारणों के साथ तैयार की जायेगी। यदि किसी दुकान विशेष के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी एक से अधिक हैं तथा उनमें से एक उत्तरांचल का निवासी है तो अन्य सभी बातें समान होने पर, उत्तरांचल के निवासी को पूरी तरह प्राथमिकता दी जायेगी। ऐसे मामलों में जहां किसी दुकान विशेष हेतु एक से अधिक आवेदक उत्तरांचल के निवासी हों वहां समिति, केवल उत्तरांचल के निवासी आवेदकों के मध्य सार्वजनिक लॉटरी द्वारा अनुज्ञापी का चयन करेगी। व्यवस्थापन के समय आवेदक को अपनी या अपने अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी ताकि चयन/व्यवस्थापन की सूचना प्राप्त हो सके। यदि चयनित अनुज्ञापी अपेक्षित राशि जमा नहीं करता है या निर्धारित औपचारिकताएं पूरी नहीं करता है या अनुबद्ध समय तक दुकान के लिये उपयुक्त परिक्षेत्र की व्यवस्था नहीं कर पाता तो अनुज्ञापन प्राधिकारी आबंटन रद्द कर देगा साथ ही अग्रिम धनराशि, अनुज्ञापन फीस, प्रतिभूति की जमा राशि, यदि कोई है, जमा कर लेगा तथा दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु कार्यवाही करेगा। एक आवेदक को उत्तरांचल राज्य का निवासी केवल तभी माना जायेगा जब कि वह निम्नलिखित में से कम से कम एक शर्त पूरी करता हो : – (1) वह राज्य का मूल अधिवासी या स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। (2) वह अपने नाम के समावेष के साथ राज्य के किसी वार्ड की मतदाता सूची की एक प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करे।	

स्तंभ–I वर्तमान नियम	स्तंभ–II एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(3) वह राज्य का निवासी होने के सबूत के रूप में राशन कार्ड की एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करे। (4) राज्य का निवासी होने के सबूत के रूप में वह चालन अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करे। (5) संबंधित जिले के कलक्टर की संतुष्टि का, राज्य का निवासी होने के सबूत के रूप में कोई अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत करे।	
(डी) यदि किसी दुकान विशेष हेतु कोई आवेदन नहीं है या किसी दुकान के लिये कोई आवेदक उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु तुरन्त कार्यवाही करेगा। पुर्नव्यवस्थापन की प्रक्रिया में पहला चयन/व्यवस्थापन की प्रक्रिया पूरी होने के तुरन्त पश्चात समिति उन आवेदकों को एक अवसर प्रदान करेगी, जो प्रारम्भिक संवीक्षा में उपयुक्त पाये गये किन्तु दुकान का अनुज्ञापन पाने में असफल रहे, कि वे निर्धारित प्रारूप में नया आवेदन प्रस्तुत कर उसी दिन अव्यवस्थित दुकान (नों) हेतु अपना प्रस्ताव पेश करें तथा ऐसे मामलों में किसी दुकान विशेष के आबंटन के लिये की गई सभी जमा राशि को इस प्रकार नये रूप में आवेदित दुकान हेतु समझा जायेगा जैसे कि यह उसी के लिये जमा किया जा रहा हो। ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर समिति, प्रावधानों के अनुरूप दुकानों को व्यवस्थापित करेगी। यदि कोई ऐसा आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी, इन नियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अव्यवस्थापित दुकान (नों) के पुर्नव्यवस्थापन हेतु कार्यवाही करेगा।	(डी) छोड़ा हुआ।
13. अनुज्ञापन फीस तथा धरोहर राशि का	13. अनुज्ञापन फीस तथा धरोहर राशि

स्तंभ–I वर्तमान नियम	स्तंभ–II एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
भुगतान : – यदि किसी आवेदक का चयन अनुज्ञापी के रूप में हो जाता है, तो वह अनुज्ञापन फीस की समस्त राशि तथा धरोहर राशि जैसा कि ऊपर नियम–6 बी में वर्णित है, की आधी राशि, दुकान के आबंटन/व्यवस्थापन के दो दिन के भीतर (दूसरे दिन के अपरान्ह पांच बजे तक) जमा करेगा तथा धरोहर राशि की शेष राशि, 15 दिन या 31 मार्च दोनों में से जो पहले हो, के भीतर जमा करेगा। यदि वह निर्धारित समय तक देय अनुज्ञापन फीस व धरोहर राशि जमा नहीं करता है, तो उसका चयन/व्यवस्थापन रद्द हो जायेगा तथा अग्रिम धनराशि, अनुज्ञापन फीस व धरोहर राशि, यदि कोई है, राज्य सरकार के पक्ष में जब्त हो जायेगी तथा रिक्त दुकान तत्काल पुर्नव्यवस्थापित की जायेगी। व्यतिक्रमी अनुज्ञापी को राज्य में कहीं भी भविष्य में आबकारी अनुज्ञापन रखने से विवर्जित कर दिया जायेगा। इस नियम के अधीन ऐसे व्यतिक्रमी अनुज्ञापियों की एक समेकित सूची, उनके पूर्ण पते के साथ जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आबकारी आयुक्त को अग्रसारित की जायेगी, जो राज्य की इस समेकित सूची को राज्य के सभी अनुज्ञापन प्राधिकारियों के पास भेजेगा।	का भुगतान : – यदि किसी आवेदक का चयन अनुज्ञापी के रूप में हो जाता है तो वह दुकान के आबंटन/व्यवस्थापन के तुरन्त पश्चात एक माह की न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के बराबर धरोहर राशि व अनुज्ञापन फीस की संपूर्ण राशि तथा आबकारी आयुक्त या जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक से एक माह की न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के बराबर बैंक प्रत्याभूति, जो कि व्यवस्थापित दुकान के संबंध में राज्य सरकार को सभी दावों व देयकों के अंतिम निपटारे तक वैध हो, जैसा कि ऊपर नियम–6 बी में वर्णित हैं, दुकान के व्यवस्थापन से 15 दिन के भीतर जमा करेगा। यदि वह निर्धारित अवधि के भीतर अनुज्ञापन फीस, धरोहर राशि तथा बैंक प्रत्याभूति जमा करने में असफल रहता है तो उसका चयन/व्यवस्थापन रद्द हो जायेगा तथा अग्रिम धनराशि, अनुज्ञापन फीस व धरोहर राशि, यदि कोई है, राज्य सरकार के पक्ष में जब्त हो जायेगी तथा रिक्त दुकान तत्काल पुर्नव्यवस्थापित की जायेगी। व्यतिक्रमी अनुज्ञापी को राज्य में कहीं भी, भविष्य में आबकारी अनुज्ञापन रखने से विवर्जित कर दिया जायेगा। इस नियम के अधीन ऐसे अनुज्ञापियों की एक समेकित सूची, उनके पूर्ण पते के साथ जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आबकारी आयुक्त को अग्रसारित की जायेगी जो राज्य की इस समेकित सूची को राज्य के सभी अनुज्ञापन प्राधिकारियों के पास भेजेगा।
15. मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठानाः– अनुज्ञापी, महीने के अन्तिम कार्य दिवस	15. मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठाना : – अनुज्ञापी, महीने के अन्तिम कार्य दिवस

स्तंभ–I वर्तमान नियम	स्तंभ–II एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
तक एक माह हेतु मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा उठा सकता है। माह के अन्तिम कार्य दिवस तक न उठाई गई मात्रा जब्त कर ली जायेगी, परन्तु, यदि अनुज्ञापी ने मांगपत्र जमा किया है तथा माह की समाप्ति से पहले सभी ड्यूटीज़ व करों सहित देशी मदिरा का संपूर्ण मूल्य जमा किया है तो जिला आबकारी अधिकारी, अनुज्ञापी के लिखित आवेदन पर आगामी माह की 25 तारीख तक (उस वित्तीय वर्ष की अप्रैल से फरवरी की अवधि में) मदिरा उठाने की अनुमति दे सकता है। यदि अनुज्ञापी ने एक माह हेतु निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की संपूर्ण राशि के सापेक्ष देशी मदिरा उठा ली है तथा उसकी दुकान में और विक्रय की संभावना है तो उसे (ड्यूटी अग्रिम में जमा करने के पश्चात्) उसी दर पर (दुकान के लिये मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के आधार पर गणना कर) न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी के 50% के बराबर देशी मदिरा की अतिरिक्त मात्रा उठाने की अनुमति होगी। यदि वह एक माह में मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के 150% से अधिक के सापेक्ष देशी मदिरा उठाना चाहता है तो उसे इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उच्च दर पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जमा कराना होगा।	तक एक माह हेतु मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा उठा सकता है। परन्तु यदि अनुज्ञापी ने संपूर्ण मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी जमा करा दी है तो जिला आबकारी अधिकारी, अनुज्ञापी के आवेदन पर लिखित में कारण अभिलिखित कर आगामी माह की 7 तारीख तक मदिरा उठाने की अनुमति दे सकता है। यदि अनुज्ञापी ने एक माह हेतु निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की संपूर्ण राशि के सापेक्ष देशी मदिरा उठा ली है तथा उस की दुकान में और विक्रय की संभावना है तो उसे, उस दुकान हेतु निर्धारित ड्यूटी के मूल प्रति बल्क लीटर की अपेक्षा 5/– प्रति बल्क लीटर अधिक की दर के भुगतान पर अतिरिक्त देशी मदिरा उठाने की अनुमति होगी, मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के प्रत्येक अतिरिक्त 10% राशि के सापेक्ष देशी मदिरा जारी करने हेतु अनुज्ञापी को मार्च माह की मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा निश्चित रूप से 26 मार्च तक उठानी होगी।
16. मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का भुगतान तथा धरोहर राशि में कमी को पूरा करने में असफलता का परिणाम : – अनुज्ञापी, माह के 25वें दिन तक देशी मदिरा की संपूर्ण मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी जमा करने के लिये उत्तरदायी है। यदि वह माह के 25वें दिन तक संपूर्ण ड्यूटी जमा करने में असफल रहता है तो	16. मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का भुगतान तथा धरोहर राशि में कमी को पूरा करने में असफलता का परिणाम : – (1) अनुज्ञापी, माह के 20वें दिन तक देशी मदिरा की संपूर्ण मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी जमा करने के लिये उत्तरदायी है। यदि वह माह के 20वें दिन तक संपूर्ण ड्यूटी जमा कराने में असफल

स्तंभ–I वर्तमान नियम	स्तंभ–II एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
जिला आबकारी अधिकारी, धरोहर राशि में से ड्यूटी की जमा न की गई राशि को समायोजित कर अनुज्ञापी को आगामी माह के 5वें दिन तक धरोहर राशि में कमी को पूरा करने के लिये नोटिस जारी करेगा। यदि अनुज्ञापी आगामी माह के 5वें दिन तक धरोहर राशि में कमी को पूरा करने में असफल रहता है तो अनुज्ञापन रद्द हो जायेगा तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी निवर्तमान अनुज्ञापी के जोखिम पर दुकान (नों) के पुर्नव्यवस्थापन हेतु स्वतंत्र होगा तथा ऐसे व्यवस्थापन पर सरकारी राजस्व में कोई कमी को भू–राजस्व के बकाया के रूप में उससे वसूलीय होगी।	रहता है तो जिला आबकारी अधिकारी, धरोहर राशि में से ड्यूटी की जमा न की गई राशि को समायोजित कर अनुज्ञापी को माह के अन्त तक धरोहर राशि में कमी को पूरा करने के लिये नोटिस जारी करेगा। (2) यदि अनुज्ञापी उपरोक्त कमी की राशि को जमा करने में असफल रहता है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी आगामी माह के सातवें दिन तक प्रतिदिन जमा न की गयी राशि पर 18% प्रतिवर्ष के बराबर जुर्माना लगा सकता है तथा यदि अनुज्ञापी आगामी माह के सातवे दिन तक जुर्माने के साथ धरोहर की शेष राशि जमा करने में फिर भी असफल रहता है तो अनुज्ञापन रद्द हो जायेगा तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी निवर्तमान अनुज्ञापी के जोखिम पर दुकान (नों) के पुर्नव्यवस्थापन हेतु स्वतन्त्र होगा तथा ऐसे व्यवस्थापन पर सरकारी राजस्व में कोई कमी भूराजस्व के बकाया के रूप में उससे वसूलीय होगी।
20. अनुज्ञापन का निलम्बन व रद्दकरण तथा दण्ड : – (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञापन को निलम्बित या रद्द कर सकता है :– (ए) यदि अनुज्ञापित परिक्षेत्र में ऐसी बोतल या पाउच पाया जाता है जिस पर ड्यूटी का भुगतान नही किया गया है तथा ड्यूटी के भुगतान के सबूत के रूप में आबकारी आयुक्त द्वारा विधिवत् स्वीकृत सुरक्षा होलोग्राम न लगा हो ।	20. अनुज्ञापन का निलम्बन व रद्दकरण तथा दण्ड : – (1) यदि अनुज्ञापित परिक्षेत्र में ऐसी बोतल या पाउच पाया जाता है जिस पर ड्यूटी का भुगतान नही किया गया है तथा ड्यूटी के भुगतान के सबूत के रूप में आबकारी आयुक्त द्वारा विधिवत् स्वीकृत सुरक्षा होलोग्राम न लगा हो तो अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञापन को निलम्बित या रद्द कर सकता है ।

बी0 सी0 चंदोला
आबकारी आयुक्त

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
सामान्य परिनियम नियम
देहरादून, शनिवार, 27 अप्रैल, 2002 ई0
बैषाख 07, 1924 शक सम्वत्

Uttaranchal Shasan
The Excise Commissioner Office, Uttaranchal

No. 750
Dated: 27, April 2002

Notification

In exercise of the powers under section 41 of the U.P. Excise Act 1910 (U.P. Act No. IV of 1910), the Excise Commissioner, Uttaranchal with the previous sanction of the State Government makes the following rules with a view to amend the Uttaranchal Excise (Settlement of Licence for Retail Sale of Foreign Liquor & Beer) Rules, 2001.

The Uttaranchal Excise (Settlement of Licences for Retail Sale of Foreign Liquor & Beer) (Fifth Amendment) Rules, 2002.

(1). Short Title and Commencement

(1) These Rules may be called The Uttaranchal Excise (Settlement of Licences for Retail Sale of Foreign Liquor & Beer) (Fifth Amendment) Rules, 2002.

(2) They shall come into force from 1st May 2002.

(2) Amendment of Rules:

In the Uttaranchal Excise (Settlement of Licences For Retail Sale of Foreign Liquor & Beer) Rules, 2001, as amended upto date, hereinafter referred to as the said Rules, for Rule 2(h)(j), 3(b), 6(b), 7(a)(b)(c)(d), 8(a), 10(a)(b)(c)(d), 12, 13, 14, 15 set out in column No. I below, the rule set out in column No. II shall be substituted:-

Column I	**Column II**
2(h) "Licence fee" means a sum fixed in consideration of the grant of the licence for exclusive privilege for selling of Foreign Liquor & Beer in a retail shop under section 24-A of the Act as fixed by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time for the whole of the Excise year or part thereof.	**2(h)** "Licence fee" means a sum fixed in consideration of the grant of the licence for exclusive privilege for selling of Foreign Liquor & Beer in a retail shop under section 24-A of the Act as fixed by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time for the whole of the Excise year or part thereof. Provided that for the period starting from 01 May 2002 and ending on 31.3.2003, the amount of licence fee shall be equal to : Total amount of licence fee fixed for the year 2002-2003 of that particular shop MINUS Amount of licence fee recovered during April 2002.
2(j) "Annual Minimum Guranteed Quantity" for a shop shall be 12 times the "Monthly Minimum Guaranteed Quantity" fixed for it.	**2(j)** "Annual Minimum Guranteed Quantity" for a shop shall be 12 times the "Monthly Minimum Guaranteed Quantity" fixed for it. Provided that for the period starting from 01 May 2002 and ending on 31.3.2003 the Annual Minimum Guaranteed Quantity for a shop shall be equal to :- Annual Minimum Guaranteed Quantity Fixed for the year 2002-2003 of that particular shop MINUS Part of Annual Minimum Guaranteed Quantity lifted during April 2002. The total of above quantity shall be divided into 11 equal parts and each of this part shall be called Monthly Minimum Guaranteed Quantity for each month during the period 01.05.2002 to 31.3.2003
3. Settlement of licence for retail sale : (b) The licence shall be granted in the form F.L.-5D for retail sale of Foreign Liquor and Beer in bottles for consumption "OFF" the premises.	**3. Settlement of licence for retail sale :** (b) The licence shall be granted in the form F.L.-5D for retail sale of Foreign Liquor and Beer in glass bottles/tins for consumption "off" the premises. Numbered Security hologram duly approved by the Excise Commissioner shall be affixed on each bottle of 750 ml, 375ml and 180 ml of IMFL.

6. Licence fee and security deposit :

The licence in form F.L.-5D shall be granted for the period of an excise year or part thereof on payment of :

(a) At the time of settlement of shop, licence fee in advance on following rates :

Category	"Annual Minimum guranteed Quantity" range in terms of IMFL of 750 ml bottle	Licence fee per shop (in Rupees)
1.	Upto 6,000 bottle	50,000.00
2.	6,001 to 12,000 bottle	1,00,000.00
3.	12,001 to 25,000 bottle	2,00,000.00
4.	25,001 to 50,000 bottle	4,00,000.00
5.	50,001 to 75,000 bottle	6,00,000.00
6.	75,001 to 1,00,000 bottle	8,00,000.00
7.	1,00,001 and above bottle	10,00,000.00

(b) A sum equal to one months Monthly Minimum Guranteed Duty in cash to be deposited in govt. treasury as interest free security deposit shall be payable within two days from the date of settlement of shop and a bank guarantee equal to one month's Minimum Guaranteed Duty from a scheduled bank in favour of Excise Commissioner or District Excise Officer, valid till the final settlement of all the claims and dues to the State Government in respect of the settled shop, shall be payable within one month from the date of settlement of shop.

7. Application for grant of licence :

(a).Whenever a new licence is proposed to be granted in an area or locality, the Licensing Authority shall invite the applications for this purpose after giving wide publicity through daily news papers having circulation in that area or locality.

6. Licence fee and security deposit :

The licence in form F.L.-5D shall be granted for the period of an Excise Year or part thereof on payment of :

a.At the time of settlement of shop, licence fee in advance on following rates :

Category	"Annual Minimum guranteed Quantity" range in terms of IMFL of 750 ml bottle (on the basis of the actual consumption of the shop during 2001-02)	Licence fee per shop (in Rupees)
1.	Upto 6,000 bottle	50,000.00
2.	6,001 to 12,000 bottle	1,00,000.00
3.	12,001 to 25,000 bottle	2,00,000.00
4.	25,001 to 50,000 bottle	4,00,000.00
5.	50,001 to 75,000 bottle	6,00,000.00
6.	75,001 to 1,00,000 bottle	8,00,000.00
7.	1,00,001 and above bottle	10,00,000.00

(b) A sum equal to one Month's Monthly Minimum Guranteed Duty in cash to be deposited in Government Treasury as interest free security deposit at once after the settlement of the shop and Bank Guarantee of amount equal to one month's Minimum Guaranteed Duty from a scheduled bank in favour of Excise Commissioner or District Excise Officer, valid till the final setlement of all the claims and dues to the State Government in respect of the settled shop, shall be payable as security deposit within fifteen days from the date of settlement of shop.

7. Application for grant of licence :

(a).In case of an existing shop amount of licence fees and Annual Minimum Guaranteed Duty for the comming year shall be decided by licencing authority on advice of District Excise Officer taking consideration of the consumption of the shop during the year 2001-2002. If the existing licensee (licensee of that particular shop on 30.4.2002) of a particular shop is ready to continue his shop, his licence shall be renewed for the remaining period of the year 2002-2003 after the payment of above stated amount of licence fee and Annual Minimum

	Guaranteed Duty payable as per the rules, otherwise the licence shall be treated as vacant and shall be settled with Garhwal Mandal Vikas Nigam or Kumaun Mandal Vikas Nigam or Registered Co-operative societies of Ex-Army personnel through negotiations on the above stated revenue.
(a).A list of the retails shops of foreign liquor and beer for which the Collector proposes to grant licence shall be exhibited alongwith shop wise licnce fee and security amount etc. at the Colelctor's office, Tehsil Offices and the Office of the District Excise Officer.	(a)Omitted.
(b).Application for grant of licence shall be made on prescribed form as appended to these rules.	(b)Omitted.
(c). The last date to be fixed for the receipt of application shall not be earlier than seven days with effect from the date of publication of the advertisement in a news paper.	(c) Omitted.
	(e) Application for renewal of licence shall be made on prescribed form as appended to these rules on payment of Rs. 100/- in cash or Bank Draft payable to District Excise Officer.
8. Eligibility conditions for applications :	**8. Eligibility conditions for applicants :**
Application for licence of a retail shop must fulfill the following conditions, namely:-	Applicants for licence of a retail shop must fulfill the following conditions, namely:-
(a). Be a citizen of India OR	(a.)Be a citizen of India and permanent resident of Uttaranchal as defined by the State Govt. from time to time. OR
A partnership firm having not more than two partners who are citizens of India. No change in partnership shall be allowed after allotment of ship(s). However if a licence is jointly held by two partners, in the event of death of either of them, the survivor along with the successor of deceased shall continue to hold the licnece or in case of death of both partners their successors may continue to hold the licence. No distinction will be made between the legal liabilities of the two partners who will be jointly and severally responsible;	A partnership firm having not more than two partners who are citizens of India and permanent residents of Uttaranchal as defined by the State Govt. from time to time. No change in partnership shall be allowed after allotment of shops. However, if a licence is jointly held by two partners, in the event of death of either of them, the survivor along with the successor of deceased shall continue to hold the licence or in case of death of both partners their successors may continue to hold the licence. No distinction will be made between the legal liabilities of the two partners who will be jointly and severally responsible;
10. Selection of licence :	**10. Selection of licence :**
(a).The District Excise Officer shall prepare a list of all applications received with summery report to be put before the district level committee for licensing.	(a).In case of an existing shops, amount of Licence Fees and Annual Minimum Guaranteed Duty for the year shall be decided by licencing authority on advice of District Excise Officer taking consideration of the consumption

of the shop during the year 2001-2002. If the existing licensee (Licensee of that particular shop on 30.4.2002) of a particular shop is ready to continue his shop, his licence shall be renewed for the remaining period of the year 2002-2003 after the payment of above stated amount of licence fee and Annual Minimum Guaranteed Duty, payable as per the rules otherwise the licence shall be treated as vacant and shall be settled with Garhwal Mandal Vikas Nigam or Kumaun Mandal Vikas Nigam or Registered Co-operative Societies of Ex-Army personnel through negotiations on the above stated revenue.

In case the selected licensee does not deposit the required amount and does not fulfill the prescribed formalitites or is unable to arrange suitable premise for the shop within stipulated period, the licensing authority shall cancel the allotment as well as foreit earnest money, licence fee and security amount deposited, if any; and take steps for resettlement of the shop.

(b)The said committee shall scrutinize all the applications and list out suitable candidates shopwise. In this process the committee may make or cause to be made such inquiries as it may deem necesary in view of the principles laid down in rule 8. A list of rejected applications along with the reasons of rejection recorded therein will also be prepared. If there are more more than one suitable applicants for any particular shop and one of them is resident of Uttaranchal, all other thing being euqal, the applicant hailing from Uttaranchal shall be givern preference outright. In cases where more than one applicant for a particular shop hail from Uttaranchal, the committee shall select the licensee for such shop by public lottery among all the applicants from Uttaranchal only. In other cases having no applicant from Uttaranchal, the said public lottery will be held among all applicant. The applicant shall have to ensure his or his authorised representative's presence at the time of selection/settlemetn so as to get the information of selection/settlement. In case the selected licensee does not deposit the required amount and does not fulfilll the prescribed formalities or is unable to arrange suitable premise for the shop within stipulated period, the licensing authority shall cancel the allotment as well as foreit earnest money, licence fee and security amount deposited, if any; and take steps for resettlement of the shop.

Explanation :

An applicant shall be deemed to be resident of State of Uttaranchal only if he fulfills atleast one of the following conditions:

(i) He produces a certificate of being domiciled or a permanent resident of the State.

(ii) He produces a certified copy of voter's

(b)Omitted.

	list of any of the ward of the State containing his name.
(iii)	He produces a birth certificate or certified copy of family register as a proof of his being resident of the State.
(iv)	He produces a certified copy of ration card as a proof of his being a resident of the State.
(v)	He produces drivign licence as a proof of his being resident of the State, OR
(vi)	He produces any othe document as a proof of his being resident of the State of satisfaction of the Collector of the District concerned.

(c).In one district one person can be allotted a maximum of three shops.

(c). In one district one person can be allotted a maximum of three shops, but there shall be no upper limit in respect of number of shop to be allotted to Garhwal/Kumaun Mandal Vikas Nigam or Registered Co-operative Societies of Ex-Army personnel.

(d).In case there is no application for a particular shop or no candidate is found suitable for a shop, the licensing authority shall take immediate steps for resettlement of the shop. In the process of resettlement of committee, immediately after the first settlement/ selection process is over, shall give an opportunity to the applicants found suitable in preliminary scrutiny but failed in getting any shop.licence to make their offer on the same day for the unsettled shop(s) by giving a fresh application in the prescribed format and in such cases all previous deposits made for allotment of a particular shop shall be considered for the newly applied shop as if it is being done for the same. On receiving such applications the committee shall settle the shops as per the provisions and if no such applications are received, the licensing authority shall take steps for resettlement of the unsettled shop(s) according to the provisions laid down in these rules.

(d). Omitted.

12. Payment of licence fee and security amount :

In case a applicant is selected as licensee, he shall deposit the entire amount of licence fee and half of the security amount within two days (latest by 5 P.M. of second day) of allotment/settlement of the shop and the balance amount within next 15 days or by 31st March whichever is earlier thereafter. If he fails to deposit the amount of licence fee and security amount due within prescribed period, his selection/settlement shall stand cancelled and the earnest money, licence fee and security amount deposited, if any shall be forfeited in favour of the State Government and the said shop shall be resettled

12. Payment of licence fee and security amount :

In case an applicant is selected as licensee, he shall deposit the entire amount of licence fee and the security amount equal to one month's Minimum Guaranteed Duty at once after the allotment/settlement of the shop and a Bank Guarantee of amount equal to one month's Minimum Guaranteed Duty from a Scheduled Bank in favour of Excise Commissioner or District Excise Officer, valid till the final settlement of all the claims and dues to the State Government in respect of the settled shop within Fifteen days from the date of settlement of the shop as stated in Rule-6(b) above. If he fails to deposit the amount of licence fee and security and Bank Guarantee, due within prescribed period, his

forthwith. The defaulter shall be debarred from holding any excise licence in future anywhere in the state. A consolidated list of such defaulter under this rule, alongwith their complete addressess shall be forwarded by District Excise Officer to the Excise Commissioner who willl circulate the consolidated list of the state to all the licensing authorities of the state.

selection/settlement shall stand cancelled and the earnest money, licence fee and security amount deposited, if any, shall be forfeited in favour of the State Government and the vacant shop shall be resettled forthwith. The defaulter licensee shall be debarred from holding any excise licence in future anywhere in the state. A consolidated list of such defaulter licensees under this rule, alongwith their complete addresses shall be forwarded by District Excise Officer to the Excise Commissioner who will circulate the consolidated list of the State to all the licensing authorities of the State.

13. Lifting of liquor :

13. Lifting of liquor :

The licensee under these rules shall obtain supplies of foreign liquor from wholesale licence (FL-2) of the district after making full payments of cost price of foreign liquor including all taxes, duties and cess as levied from time to time. If any specific/particular brand of foreign liquor is not available in wholesale licence of his district the same may be procured from any other wholesale licence of the State with prior permission of the Deputy Excise Commissioner (Licencing) Head Quarter, Uttaranchal. The amount of Monthly Minimum Guaranteed Duty shall be adjusted against per bottle issue of Indian Made Foreign Liquor (Spirits only) from FL-2 in the following manner :--

The Licensee under these rules shall obtain supplies of foreign liquor/Beer from any wholesale licence (FL-2/FL-2B) of the district after making full payments of cost price of foreign liquor including all taxes, duties and cess as levied from time to time. If any specific/particular brand of foreign liquor is not available in wholesale licence or licences of his district the same may be procured from any other wholesale licence of the State with prior permission of the Deputy Excise Commissioner (licencing) Head Quarter, Uttaranchal. The amount of Monthly Minimum Guaranteed Duty shall be adjusted against per bottle issue of Indian Made Foreign Liquor(Spirits only) from FL-2 in the following manner :-

Per Bottle Ex-Distillery Price	Amount of Monthly Minimum Guaranteed Duty
Upto Rs. 16/-	40/- Rs. per Bottle
From Rs.16.01 to Rs. 20	50/- Rs. per Bottle
From Rs.20.01 to Rs. 35	60/- Rs. per Bottle
From Rs.35.01 to Rs. 75	75/- Rs. per Bottle
From Rs.75.01 to Rs. 150	90/- Rs. per Bottle
Above Rs.150	109/- Rs. per Bottle

14. Lifting of Monthly Minimum Guaranteed Quantity :

The Licensee can lift the Monthly Minimum Guaranteed Quantity for a month till the last working day of that month. The quantity left unlifted on the last working day of the month shall stand forfeited. However if the licensee has deposited all monthly minimum guaranteed duty, the District Excise officer may permit lifting of liquor till the 25th day of the next month (during April to February of that financial year) on written request from the licensee. In case the licensee has lifted Foreign Liquor against the entire amount of Monthly Minimum Guaranteed Duty fixed for a month and there is scope for further sale in his shop, he (after depositing the duty in advance) will be allowed to lift an additional quantity of Foreign Liquor equivalent to 50% of minimum monthly guaranteed duty at the same rate (as calculated on the basis of Monthly Minimum Guaranteed Duty for the shop). In case a licensee

Per Bottle Ex-Distillery Price	Amount of Monthly Minimum Guaranteed Duty
Upto Rs. 20/-	60/- Rs. per Bottle
From Rs.20.01 to Rs. 35.00	70/- Rs. per Bottle
From Rs.35.01 to Rs. 50.00	80/- Rs. per Bottle
From Rs.50.01 to Rs. 65.00	90/- Rs. per Bottle
From Rs.65.01 to Rs. 80.00	100/- Rs. per Bottle
From Rs.80.01 to Rs. 100.00	110/- Rs. per Bottle
Above Rs.100	120/- Rs. per Bottle

No amount of Monthly Minimum Guaranteed Duty shall be adjusted against issues of Beer from F.L.-2 to F.L.-5D licensees.

14. Lifting of Monthly Minimum Guaranteed Quantity :

The Licensee can lift the Monthly Minimum Guaranteed Quantity for a month till the last working day of that month. However if the licensee has deposited all Monthly Minimum Guaranteed Duty the District Excise Officer may permit lifting of liquor till the 7th day of the next month, recording reasons in writing on the application of the licensee. In case the licensee has lifted Foreign Liquor against the entire amount of Monthly Minimum Guaranteed Duty fixed for a month and there is scope for further sale in his shop, he will be allowed to lift an additional quantity of Foreign Liquor, on payment of additional Excise duty at a higher rate of Rs. 5/- per bottle (750 ml) more than the original per bottle rate of duty prescribed for that shop, for issues of Foreign Liquor against every additional 10% amount of Monthly Minimum Guaranteed Duty. Lisensee shall have to lift the Monthly Minimum Guaranteed Quantity for month of

wants to lift Foreign Liquor against more than 150% of the Monthly Minimum Guaranteed Duty in a month, he shall be required to deposit an additional Excise Duty at a higher rate as notified by the State Government in this regard. FL-5D licensee shall be free to purchase any quantity of Beer from FL-2 or FL-2B as per the genuine sale requirements of his shop, and no amount of Monthly Minimum Guaranteed Duty shall be adjusted against issues of Beer from FL-2 to FL-5D Licensees.

15. Payment of Monthly Minimum Guaranteed Duty and consequence of failure to make good the deficiency in security deposit :

The licensee is liable to deposit entire Monthly Minimum Guaranteed Duty of Indian made Foreign Liquor by the 25th day of the month. In case he fails to deposit the entire duty by 25th day of the month, the District Excise Officer will adjust the undeposited amount of the duty from the security deposit and immediately issue a notice to the licensee to replenish the shortfall in security deposit by 5th day of the next month. If the licensee fails to deposit the amount of deficit in security amount by 5th day of next month the licence shall stand cancelled and the licensing authority shall be free to resettle the shop(s) at the risk of the outgoing March by 26th March Positively

15. Payment of Monthly Minimum Guaranteed Duty and consequence of failure to make good the deficiency in security deposit:

(1) The licensee is liable to deposit entire Monthly Minimum Guaranteed Duty of Indian made Foreign Liquor by the 20th day of the month. In case he fails to deposit the entire duty by 20th day of the month, the District Excise Officer will adjust the undeposited amount of the duty from the security deposit and immediately issue a notice to the licensee to replenish the shortfall in security deposit by the end of the month.

(2) If the licensee fails to deposit the amount of deficit mentioned there above the licencing authority shall levy a penalty equivalent to 18% annual interest on the undeposited amount, per day till 7th of the next month and if licensee further fails to deposit the remaining amount along with penalty by 7th day of the next month, the licence shall stand cancelled and the licensing

licensee and any shotfall in government revenue in such resettlement shall be recoverable from him as arrears of land revenue.

authority shall be free to resettle the shop(s) at the risk of the outgoing licensee and any shortfall in government revenue in such resettlement shall be recoverable from his as arrears of land revenue.

(B.C. Chandola)
Excise Commissioner,
Uttaranchal.

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)
देहरादून, रविवार, 28 अप्रैल, 2002 ई0
वैशाख 08, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
कार्यालय आबकारी आयुक्त
संख्याः827–39/सात–लाइसेंस()/एफ0एल0–2ए
देहरादून, 28 अप्रैल, 2002

सेना की इकाईयों को मदिरा की आपूर्ति हेतु के संबंध में

सा0प0नि0–08

अवगत कराना है कि अभी तक उत्तरांचल में कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट के द्वारा कोई प्रस्ताव/आवेदन प्राप्त न होने के कारण सेना के रम बंधित गोदाम (एफ0एल0–2ए) अनुज्ञापन प्राप्त नहीं किया जा सका है।

अतः यदि जनपद में यूनिट कैन्टीनों को मदिरा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है तो वे पूर्ववत सी0एस0डी0 डिपो मेरठ/बरेली से प्राप्त कर सकती है परन्तु इसके लिए यूनिट कैन्टीनों के सेना प्रभारी द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में नियमानुसार वांछित मदिरा/बियर की मात्रा के लिए आबकारी अभिकर की धनराशि एवं आयात परमिट हेतु (उ0प्र0 आबकारी मैनुअल खण्ड–प्रथम के प्रस्तर 614) हेतु अग्रिम रूप से आयात फीस जमा करानी होगी। आबकारी अभिकर/आयात परमिट फीस की दरें निम्नानुसार हैंः–

1. आबकारी अभिकर की दर

(1) विदेशी मदिरा (व्हिस्की, ब्राण्डी, जिन)	50/– प्रति ए0एल0
(2) बियर	
(अ) 5 प्रतिशत तीव्रता तक	11.55 प्रति बी0एल0
(ब) 5 से 8 प्रतिशत तीव्रता की	प्रति बी0एल0
(3) कंसेशन ड्यूटी रम	43 प्रति ए0एल0
(4) भारतीय सेना एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस को दी जाने वाली रम उत्तरांचल के भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में तैनात	शासनादेश संख्याः27/आबकारी/2002 देहरादून दिनांकः जनवरी 14, 2002 के अन्तर्गत इस निर्धारित सीमा तक की

भारतीय सैनिकों एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस को प्रतिवर्ष दी जाने वाली 180,180 लीटर एवं 41,168 लीटर की सीमा तक रम मदिरा के अभिकर की वसूली को समाप्त कर दिया गया है।

2. आयात परमिट फीस की दर

(1) विदेशी मदिरा/रम			5/– प्रति बोतल
(बियर)			1/– प्रति बोतल

3. इसके अतिरिक्त अनुज्ञापन एफ0एल0–9 एवं एफ0एल0–9ए अनुज्ञापनों पर निश्चित अनुज्ञापन शुल्क एवं ऐसेस्ड फीस की दरें निम्नवत् होंगी।

(1) एफ0एल0–9 (सैन्य कैन्टीन)	निश्चित फीस		रू0 60/– प्रति लाइसेंस
	ऐसेस्ड फी	(एक) भारत में बनी सभी प्रकार की विदेशी शराब, स्प्रिट, वाईन शराब काडियल आदि	30.00 रूपये मान्य क्वार्ट बोतल
		(दो) अल्कोहल को 5 प्रतिशत वी/वी तक शक्ति रखने वाली बियर, स्टाउड और अन्य किण्वित शराब	2.00 रूपये प्रति 650 मिलीलीटर बोतल
		(तीन) अल्कोहल की 5 प्रतिशत वी/वी से अधिक शक्ति रखने वाली बियर स्टाउट और किण्वित शराब	3.00 रूपये प्रति 650 मिलीलीटर बोतल
(2) एफ0एल0–9ए (सैन्य कैन्टीन)	निश्चत फीस		रू0 60/– प्रति लाईसेंस
	सेसेस्ड फी		रियायती शुल्क रू0 18.00 प्रति मान्य क्वार्ट बोतल रम

बी0सी0 चन्दोला
आबकारी आयुक्त

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)
देहरादून, रविवार, 30 अप्रैल, 2002 ई0
वैशाख 10, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
कार्यालय आबकारी आयुक्त
संख्याः1007–19 / सात–लाइसेंस / बार–नीति / 2002–2003
देहरादून, 30 अप्रैल, 2002

बार व क्लब बार अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष 2002–2003 हेतु देय लाईसेंस फीस व अधिभार के संबंध में

सा0प0नि0–10

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के परिपत्र संख्या–965–77 / सात–लाईसेंस / बार–नीति / 2002–03 दिनांक 30.4.2002 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त परिपत्र के बिन्दु–2 में निम्नलिखित अंश को जोड़कर पढ़ने का कष्ट करें।

2. एफ0एल0–6ए समिश्र (चार सितारा व पांच सितारा) बार अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस में वर्ष 2002–03 के लिए कोई संशोधन नहीं किया गया है। अतः एफ0एल0–6ए समिश्र (चार सितारा व पांच सितारा) बार अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस यथावत रहेगी।

धीरेन्द्र वर्मा
संयुक्त आबकारी आयुक्त

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)
देहरादून, रविवार, 30 अप्रैल, 2002 ई0
वैशाख 10, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
कार्यालय आबकारी आयुक्त
संख्या:965–77 / सात–लाइसेंस / बार–नीति / 2002–2003
देहरादून, 30 अप्रैल, 2002

बार व क्लब बार अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष 2002–2003 हेतु देय लाईसेंस फीस व अधिभार के संबंध में

सा0प0नि0–10

वर्ष 2002–2003 हेतु निर्धारित आबकारी नीति के अनुसार बार व क्लबवार अनुज्ञापियों से निम्नानुसार लाइसेंस फीस व अधिभार जमा कराया जाये।

1. क्लबवार लाईसेंसों की लाइसेंस फीस में वर्ष 2001–2002 की लाइसेंस फीस की तुलना में 25 प्रतिशत वृद्वि की गयी है, इस राशि में से वित्तीय वर्ष 2002–2003 हेतु पूर्व में प्राप्त लाइसेंस फीस की राशि समायोजित करने के उपरान्त शेष राशि अनुज्ञापी से जमा कराकर इन लाइसेंसों का वर्ष 2002–2003 हेतु नवीनीकरण कर दिया जाये।

2. बार लाइसेंसों की लाइसेंस फीस वर्ष 2002–2003 हेतु रूपये 2.50 लाख (ढाई लाख रूपये) निर्धारित की गयी है, इस राशि में से वित्तीय वर्ष 2002–2003 हेतु पूर्व में प्राप्त लाइसेंस फीस की राशि समायोजित करने के उपरान्त शेष राशि अनुज्ञापी से जमा कराकर इन लाइसेंसों का वर्ष 2002–2003 हेतु नवीनीकरण कर दिया जाये।

3. बार व क्लबवार अनुज्ञापियों द्वारा बेची जाने वाली मदिरा की प्रत्येक बोतल पर 30 / – रूपये व बियर की प्रत्येक बोतल पर 5 / – रूपये अधिभार देय होगा।

जिला आबकारी अधिकारी यह धन अग्रिम जमा कराने के उपरान्त बार व क्लबबार लाईसेसों को निकासी के आदेश जारी करेंगे, जिसके उपरान्त ही एफ0एल0–2/एफ0एल0–2बी अनुज्ञापी बार व क्लबवार अनुज्ञापियों को मदिरा/बियर की निकासी देंगे।

4. बार अनुज्ञापियों द्वारा विक्रय की गयी मदिरा (रम, व्हिस्की, ब्राण्डी व जिन) पर बिन्दु–3 के अनुसार निर्धारित अधिभार पर अधिकतम उपभोग की सीमा 20,000 बोतल (बीस हजार बोतल) निर्धारित की जाती है, इससे अधिक बोतलों की बिक्री होने पर बोतलों की प्रत्येक 10 प्रतिशत वृद्वि के लिए 5/– रूपये प्रति बोतल की बढ़ी दर से अतिरिक्त अधिभार भी देय होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

बी0सी0 चन्दोला
आबकारी आयुक्त

In pursuance of of clause(3) of Article 348 of the constitution of India, the Governer is pleased to translate the following English translation of Notification no. dated , July 2002 for general information.

The Excise Commissioner Office, Uttaranchal

No.: 6042 Dated: 19, July 2002

Notification

In exercise of the powers under section 41 of the (U.P. Excise Act, 1910) (U.P. Act No. IV of 1910), read with Rule 86 of U.P. Re-organisation Act 2000 (Act No. 29/2000) the Excise Commissioner, Uttaranchal with the previous sanction of the State Government makes the following Rules with a view to amend the Uttaranchal Excise (Settlement of Licence for Retail Sale of Foreign Liquor & Beer) Rules, 2001.

The Uttaranchal Excise (Settlement of Licences for Retail Sale of Foreign Liquor & Beer) (Sixth Amendment) Rules, 2002.

(1). Short Title and Commencement

(3) These Rules may be called the Uttaranchal Excise (Settlement of Licences for Retail Sale of Foreign Liquor & Beer) (Sixth Amendment) Rules, 2002.

(4) They shall come into force with immediate effect.

(2) Amendment of Rules:

In the Uttaranchal Excise (Settlement of Licences For Retail Sale of Foreign Liquor & Beer) Rules, 2001, as amended upto date, hereinafter referred to as the said Rules, for Rule 13 set out in column No. I below, the Rule set out in column No. II shall be substituted:-

Column I	Column II
13. Lifting of liquor :	**13. Lifting of liquor :**
The Licensee under these rules shall obtain supplies of foreign liquor/Beer from any wholesale licence (FL-2/FL-2B) of the district after making full payments of cost price of foreign liquor including all taxes, duties and cess as levied from time to time. If any specific/particular brand of foreign	The Licensee under these rules shall obtain supplies of foreign liquor/Beer from any wholesale licence (FL-2/FL-2B) of the district after making full payments of cost price of foreign liquor including all taxes, duties and cess as levied from time to time. If any specific/particular brand

liquor is not available in wholesale licence or licences of his district the same may be procured from any other wholesale licence of the State with prior permission of the Deputy Excise Commissioner (licencing) Head Quarter, Uttaranchal. The amount of Monthly Minimum Guaranteed Duty shall be adjusted against per bottle issue of Indian Made Foreign Liquor(Spirits only) from FL-2 in the following manner :-

Per Bottle Ex-Distillery Price	Amount of Monthly Minimum Guaranteed Duty
Upto Rs. 20/-	60/- Rs. per Bottle
From Rs.20.01 to Rs. 35.00	70/- Rs. per Bottle
From Rs.35.01 to Rs. 50.00	80/- Rs. per Bottle
From Rs.50.01 to Rs. 65.00	90/- Rs. per Bottle
From Rs.65.01 to Rs. 80.00	100/- Rs. per Bottle
From Rs.80.01 to Rs. 100.00	110/- Rs. per Bottle
Above Rs.100	120/- Rs. per Bottle

No amount of Monthly Minimum Guaranteed Duty shall be adjusted against issues of Beer from F.L.-2 to F.L.-5D licensees.

of foreign liquor is not available in wholesale licence or licences of his district the same may be procured from any other wholesale licence of the State with prior permission of the Deputy Excise Commissioner (licencing) Head Quarter, Uttaranchal at Dehradun. The amount of Monthly Minimum Guaranteed Duty shall be adjusted against per bottle issue of Indian Made Foreign Liquor(Spirits only) from FL-2 in the following manner :-

Per Bottle Ex-Distillery Price	Amount of Monthly Minimum Guaranteed Duty
Upto Rs. 16/-	45/- Rs. per Bottle
From Rs.16.01 to Rs. 20.00	50/- Rs. per Bottle
From Rs.20.01 to Rs. 35.00	60/- Rs. per Bottle
From Rs.35.01 to Rs. 75.00	75/- Rs. per Bottle
From Rs.75.01 to Rs. 150.00	90/- Rs. per Bottle
Above Rs.150.00	109/- Rs. per Bottle

No amount of Monthly Minimum Guaranteed Duty shall be adjusted against issues of Beer from F.L.-2 to F.L.-5D licensees.

(B.C. Chandola)
Excise Commissioner,
Uttaranchal.

No.6050-6109 Dated : 19-7-2002
Copies sent to following for information and necessary action ---

1. Secretary, Excise, Uttaranchal Govt. in reference to his letter no. 438/Abkari/119/2002 dated 19.07.2002
2. All District Magistrate, Uttaranchal.
3. Deputy Excise Commissioner, Licensing, Uttaranchal.
4. All District Excise Officer, Uttaranchal.
5. All Asstt. Excise Commissioner, inforcement, Uttaranchal.
6. All Exicse Inspector, Uttaranchal.

(Dr. K.B.Johari)
Deputy Excise Commissioner,
Uttaranchal, Dehradun.

In pursuance of clause(3) of Article 348 of the constitution of India, the Governer is pleased to translate the following English Translation of Notification no. . dated 2002 for general information.

The Excise Commissioner Office, Uttaranchal

No. 7602 Dated 21-08-2002

Notification

In exercise of the powers under section 41 of the U.P. Excise Act, 1910 (U.P. Act No. IV of 1910), the Excise Commissioner, Uttaranchal with the previous sanction of the State Government makes the following rules with a view to amend the Uttaranchal Foreign Liquor Bonded Warehouse Rules, 2001.

The Uttaranchal Foreign Liquor Bonded Warehouse (First Amendment) Rules, 2002.

(1) Short Title and Commencement

(1) These Rules may be called The Uttaranchal Foreign Liquor Bonded Warehouse (First Amendment) Rules, 2002.

(2) They shall come into force from 1st May 2002.

(2) Amendment of Rules :

In The Uttaranchal Foreign Liquor Bonded Warehouse Rules, 2001, hereinafter referred to as the said Rules, for Rule 5 set out in column No. I below, the rule set out in column No. II shall be substituted :-

Existing Rule		Ammended Rule
(5) The licence may be granted or renewed on the payment of Rs. 2,00,000/- (Rs. Two lacs) as licence fees for the period not exceeding one year and ending on the 31st March following the date of grant.		**(5)** The licence may be granted or renewed on the payment of Rs. 2,20,000/- (Rs. Two Lacs Twenty Thousand Only) as licence fee for BWFL-2 licence & Rs. 1,10,000/- (Rs. One lac Ten Thousand Only) for BWFL-2B for the period not exceeding one year and ending on the 31st March following the date of grant. Provided that the licence fee for the period 01.05.2002 to 31.03.2003 shall be equal to licence fee fixed for the whole year 2002-2003 MINUS licence fee realized during April 2002.

(13) No liquor shall be removed from the Bonded Warehouse unless the duty has been paid on it at the prescribed rate or a bond has been executed for payment of the same by the licensee.		**(13)** No liquor shall be removed from the Bonded Warehouse **(1)** Unless the duty has been paid on it at the prescribed rate or a bond has been executed for payment of the same by the licensee. **(2)** Numbered Security Hologram duly approved by the Excise Commissioner shall be affixed on every Bottle, Nip and Pint of the IMFL.

Change in licence conditions of BWFL-2/2B Licence Form

In the BWFL-2/2B licence form the licence condition shown in column no. 1 shall be substituted by the licence condition shown in column number 2.

Existing Condition		Ammended Condition
(1) The licensee shall pay into the Government treasury in advance a sum of Rs. 2,00,000/- (Rs. Two Lacs) as licence fees and shall also furnish a security of Rs. 1,00,000/- (Rs. One Lac) as provided under the rules on the subject.		**(1)** The licensee shall pay into the Government treasury in advance a sum of Rs. 2,20,000/- (Rs. Two Lacs Twenty Thousand only) as licence fee for BWFL-2 licence & Rs. 1,10,000/- (Rs. One Lac Ten Thousand only) for BWFL-2B for the period not exceeding one year and ending on the 31st March following the date of grant. Provided that the licence fee for the period 01.05.2002 to 31.03.2003 shall be equal to licence fee fixed for the whole year 2002-2003 MINUS licence fee realized during April 2002. The licensee shall also furnish a security of Rs. 1,00,000/- (Rs. One Lac) as provided under the rules on the subject.
(3) Issues of foreign liquor from the said Bonded Warehouse shall be made at such strength only as may be fixed from time to time by the Excise Commissioner, Uttaranchal.		**(3)(i)** Issues of foreign liquor from the said Bonded Warehouse shall be made at such strength only as may be fixed from time to time by the Excise Commissioner, Uttaranchal. **(ii)** Numbered Security Hologram duly approved by the Excise Commissioner shall be affixed on every Bottle, Pint and Nip of the IMFL before issues.

(7) The licensee shall supply Indian made foreign liquor in bottles of 750 mls, 375mls and 180 mls capacity only and beer bottles of 650 mls and 325 mls.		**(7)** The licensee shall supply Indian made foreign liquor in glass bottles of 750mls, 375 mls and 180 mls, and Beer in glass bottles/tins of 650 mls and 325 mls capacity only.

Excise Commissioner
Uttaranchal

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)
देहरादून, मंगलवार, 22 अप्रैल, 2003 ई0
वैशाख 02, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
आबकारी विभाग
संख्याः312 / 18 / आब / 2003–04
देहरादून, 22 अप्रैल, 2003

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 1904) की धारा–21 के साथ पठित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम–1910) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 की धारा–40 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्रीराज्यपाल उत्तरांचल राज्य में देशी / विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2003–04 के लिए निम्नलिखित नवीन आबकारी नीति उद्घोषित करते हैं–

यह दिनांक 1 मई, 2003 से प्रवृत्त होगी।

1. लाइसेंस फीस का निर्धारण

वित्तीय वर्ष 2003–04 हेतु लाइसेंस फीस का निर्धारण विगत वित्तीय वर्ष की भांति देशी मदिरा की बल्क लीटर बिक्री एवं विदेशी मदिरा की बोतलों की संख्या में बिक्री के आधार पर स्लैबवार 15 प्रतिशत वृद्वि करते हुए निर्धारित की जाये। इस प्रकार निर्धारित लाइसेंस फीस में से माह अप्रैल हेतु प्राप्त लाइसेंस फीस घटाकर वित्तीय वर्ष 2003–04 के शेष 11 माह अर्थात् 1.5.2003 से 31.3.2004 तक के लिए लाइसेंस फीस मानी जायेगी।

2. अधिभार का निर्धारण–

निजी अनुज्ञापियों तथा भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत कोआपरेटिव समितियों द्वारा चलाई गयी दुकानों के लिए वित्तीय वर्ष 2002–03 में वास्तविक निकासी पर देय अधिभार में 15 प्रतिशत जोड़कर अधिभार निर्धारित किया जाये।

गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा कुमायूं मण्डल विकास निगमों के लिए वर्ष 2002–03 हेतु निर्धारित अधिभार एवं वास्तविक निकासी की गयी मदिरा पर देय अधिभार का औसत निकालकर उसमें 15 प्रतिशत वृद्वि जोड़ दी जाये। इस अधिभार में माह अप्रैल में प्राप्त अधिभार को घटाकर वित्तीय वर्ष 2003–04 की शेष अवधि 1.5. 2003 से 31.3.2004 तक के लिए अधिभार का निर्धारण किया जाये।

3– राजस्व निर्धारण–

उपरोक्त बिन्दु 1 के अनुसार निर्धारित लाइसेंस फीस एवं बिन्दु 2 के अनुसार निर्धारित अधिभार के योग में यदि अन्य कोई कर देय हो जोड़कर दिनांक 1.5.2003 से 31.3.2004 तक का दुकान का राजस्व माना जायेगा।

4– देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन–

उक्त प्रकार बिन्दु–3 की व्यवस्थानुसार दुकानवार राजस्व निर्धारित करके गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमायूं मण्डल विकास निगम, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों, सहकारी संस्थाओं तथा निजी अनुज्ञापियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। इस प्रकार प्राप्त आवेदनपत्रों में जहां एक दुकान के लिए एक से अधिक आवेदक हैं, उस दशा में लाटरी द्वारा आबंटन किया जायेगा।

उपरोक्त दोनों निगमों, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों तथा सहकारी संस्थाओं को छोडकर उपरोक्त प्रक्रिया में निजी अनुज्ञापी को देशी अथवा विदेशी मदिरा की जनपद में एक ही दुकान आबंटित की जायेगी।

5– देशी एवं विदेशी मदिरा की निकासी में अधिभार की गणना–

निकासी हेतु अधिभार की गणना के स्लैब कम रखे जायें एवं देशी एवं विदेशी मदिरा दोनों पर अधिभार कम रखा जाना चाहिए जिससे शराब के मूल्य नियंत्रित रहेंगे तथा तस्करी की सम्भावनायें कम होंगी।

6. विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0–2)–

विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0–2) गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल विकास निगमों को पूर्ववत दिये जायेंगे। व्यापार में प्रतिस्पर्धा एवं अबाध आपूर्ति बनाये रखने के लिए सैनिक कल्याण निगम गठित होने पर उसको भी विदेशी मदिरा का थोक अनुज्ञापन दिये जाने पर विचार किया जायेगा तथा विगत वर्ष की भांति भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत कोआपरेटिव सोसाइटीज को भी थोक अनुज्ञापन दिये जाने पर विचार किया जायेगा एवं एफ0एल0–2 के स्तर पर लिये जाने वाले लाभांश को संतुलित किया जायेगा।

7– बार एवं क्लब बार लाईसेन्स–

बार/क्लब बार लाईसेंस देने के संबंध में तीन, चार व पॉच सितारा होटलों को बार लाईसेंस दिये जाने की वर्तमान व्यवस्था को यथावत् रखा जाये। अन्य होटलों व रेस्त्राओं को बार लाईसेंसस दिये जाने के संबंध में उत्तरांचल शासन के आदेश संख्याः110–122/सात–लाईसेंस/बार–नीति/2001–02 दिनांक 6.4.2001 द्वारा जारी की गयी नीति का अनुसरण किया जायेगा। गढ़वाल व कुमायूं मण्डल विकास निगमों के पर्यटक आवास गृहों हेतु वित्तीय वर्ष 2002–03 में निर्धारित नीति यथावत् रहेगी। बार लाइसेंस स्वीकृत करने का अन्तिम निर्णय शासन द्वारा लिया जायेगा।

8– नयी आसवनियों, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाइनरी स्थापित करने के संबंध में–

बाटलिंग प्लान्ट लगाने के लिए इस व्यवसाय में पूर्व से ही प्रतिष्ठित एवं ख्याति प्राप्त निर्माताओं से प्रस्ताव पास होने पर विचार किया जायेगा। ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वायनरी की स्थापना हेतु लाईसेन्स देने पर भी विचार किया जायेगा।

9. देशी मदिरा के वर्तमान आबंटन क्षेत्र को विगत वर्ष की ही भांति रखा जायेगा।

10. भांग के अनुज्ञापन में वर्ष 2002–03 की नीति को यथावत् रखा जायेगा।

11. बार व क्लब बारों को छोड़कर अन्य लाइसेंस फीसों में भी 15 प्रतिशत वृद्वि कर दी जायेगी।

12. राज्य के संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए विदेशी मदिरा पर देय अभिकर को 50.00 रूपये प्रति अल्कोहलिक लीटर के स्थान पर 52.00 रूपये प्रति अल्कोहलिक लीटर किया जाये।

13. देशी मदिरा में प्रयुक्त होने वाली पुरानी बोतलों का प्रयोग 30 अगस्त, 2003 के बाद समाप्त कर दिया जाये और दिनांक 01 सितम्बर, 2003 से शत–प्रतिशत् नई बोतालें का प्रयोग किया जायेगा।

14. अन्य व्यवस्थायें विगत वित्तीय वर्ष 2002–03 की ही भांति रखी जायेगी।

15. उपरोक्त के कियान्वयन हेतु शासन तथा आबकारी आयुक्त द्वारा आवश्यकतानुसार पृथक से संशोधित नियमावलियां बनाई जायेंगी।

आज्ञा से

बी0सी0 चन्दोला
सचिव